



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 दिसम्बर 2025-पौष 5, शक 1947

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभागों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के
आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत
की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.— स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकी सूचनाएं.

भाग 4.— (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग 9

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2025

क्र.GAD-6-0014-2025-GAD-1-एक-(GAD).—
माननीय न्यायाधिपति, श्री राजेन्द्र कुमार वाणी, मध्यप्रदेश,
उच्च न्यायालय, जबलपुर को डी.आर.—कम—पी.पी.एस., उच्च
न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक सी-7007
(दो-1-22-2023), दिनांक 19 नवम्बर 2025 के अनुक्रम में,
दिनांक 20 से 25 नवम्बर 2025 तक, छः दिन का पूर्ण वेतन
तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय
न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तों) अधिनियम, 1954 की धारा 13
के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र.GAD-6-0020-2025-GAD-1-एक-(GAD).—
माननीय न्यायाधिपति, श्री अनिल वर्मा, उच्च न्यायालय,
मध्यप्रदेश खण्डपीठ, ग्वालियर को डी.आर.—कम—पी.पी.
एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक सी-7071
(दो-1-12-2022), दिनांक 21 नवम्बर 2025 के अनुक्रम में,
दिनांक 30 अक्टूबर से 4 नवम्बर 2025 तक, छः दिन का पूर्ण
वेतन तथा भत्तों सहित कम्प्यूटेड अवकाश की स्वीकृति, साथ
ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 नवम्बर 2025 के
सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च
न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तों) अधिनियम,
1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. GAD-6-0032-2025-GAD-1-एक-(GAD).-
माननीय न्यायाधिपति, श्री विशाल मिश्रा, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर को डी. आर.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक बी-7958 (दो-1-20-2025), दिनांक 19 नवम्बर 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 13 अक्टूबर 2025 का एवं 6 नवम्बर 2025 का दो दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. GAD-6-0033-2025-GAD-1-एक-(GAD).-
माननीय न्यायाधिपति, श्री प्रदीप मित्तल, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक सी-7005 (दो-1-9-2025), दिनांक 19 नवम्बर 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 27 अक्टूबर से 7 नवम्बर 2025 तक, बारह दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. GAD-6-0034-2025-GAD-1-एक-(GAD).-
माननीय न्यायाधिपति, श्री विवेक कुमार सिंह, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर को डी. आर. कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक बी-7956 (दो-1-8-2025), दिनांक 19 नवम्बर 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 24 नवम्बर से 9 दिसम्बर 2025 तक, सोलह दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेसरिया, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2025

क्र.ई.एफ 1-1-1-0432-2025-ब-2-दो.-राज्य शासन, श्री सुशान्त कुमार सक्सेना, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (अ.अ.वि.), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 15 से 26 दिसम्बर 2025 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 13-14 व 27-28 दिसम्बर 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री सुशान्त कुमार सक्सेना, भापुसे, की अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक (अ.अ.वि.), पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य श्री साकेत प्रकाश पाण्डेय, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक (अ.अ.वि.), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुशान्त कुमार सक्सेना, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (अ.अ.वि.), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री सुशान्त कुमार सक्सेना, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री सुशान्त कुमार सक्सेना, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुशान्त कुमार सक्सेना, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2025

संशोधित आदेश

फा.क्र.4128-इक्कीस-ब(दो).- राज्य शासन, माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर में आर्थिक अपराध

प्रकोष्ठ भोपाल, मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों, अपील, पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मध्यप्रदेश भोपाल की ओर से पैरवी किये जाने हेतु श्री राजीव श्रीवास्तव, अधिवक्ता, ग्वालियर को मासिक पारिश्रमिक राशि रुपये 55,000/- (रुपये पचपन हजार मात्र) तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय पर आदेश जारी होने के दिनांक से एक वर्ष तक की कालावधि के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18 (8) के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है। उन्हें उक्त प्रकरणों में पैरवी के फलस्वरूप फीस इत्यादि का भुगतान आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल, मध्यप्रदेश करेगा।

फा.क्र.4128-इक्कीस-ब(दो).-राज्य शासन, माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल, मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों, अपील, पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मध्यप्रदेश भोपाल की ओर से पैरवी किये जाने हेतु श्री लोकेन्द्र जोशी, अधिवक्ता, इंदौर को मासिक पारिश्रमिक राशि रुपये 55,000/- (रुपये पचपन हजार मात्र) तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय पर आदेश जारी होने के दिनांक से एक वर्ष तक की कालावधि के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18 (8) के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है। उन्हें उक्त प्रकरणों में पैरवी के फलस्वरूप फीस इत्यादि का भुगतान आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल, मध्यप्रदेश करेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुकेश कुमार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2025

फा.क्र. ई-958592-4821-इक्कीस-ब(एक)-2025.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक, दिनांक 20 सितम्बर, 2013 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 12, 18 तथा 35 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्र. (1)	जिले का नाम (2)	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (3)
"12.	खण्डवा (पूर्व निमाड़)	श्री अनिल चौधरी, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खण्डवा (पूर्व निमाड़)
18.	जबलपुर	श्री प्रवेन्द्र कुमार सिंह, अट्हाईसवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जबलपुर
35.	शहडोल	श्री कमलेश कुमार कोल, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहडोल."

(2) यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F-No.-E-958592-4821-XXI-(B-1)-2025.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F-No. B(1)3476-2013, dated 11th September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20th September, 2013, namely :-

AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial numbers 12, 18 and 35 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto, shall be substituted, namely :-

TABLE

S. No. (1)	Name of District (2)	Name and Designation of the Judge (3)
"12.	Khandwa (East Nimar)	Shri Anil Chaudhary, II nd District and Additional Sessions Judge, Khandwa (East Nimar)
18.	Jabalpur	Shri Prawendra Kumar Singh, XXVIII th District and Additional Sessions Judge, Jabalpur
35.	Shahdol	Shri Kamlesh Kumar Kol, I st District and Additional Sessions Judge, Shahdol."

(2) This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार पाठक, सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2025

भू-सर्वेक्षण को बंद करने की घोषणा

क्र.1771-म.प्र.भू.अ.प्र.स.-2025.-मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद्वारा यह घोषित करते हैं कि राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021 में जिला उमरिया के सन्दर्भ में प्रकाशित आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 392-2021-CLR-आबादी-भू-सर्वेक्षण-2021 ग्वालियर, दिनांक 09 सितम्बर 2021 में वर्णित क्षेत्र पर संचालित भू-सर्वेक्षण बंद किया जाता है।

अनुभा श्रीवास्तव, आयुक्त.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2025

क्र. 10961-आर-3093615-2025-तेरह-यतः, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ-16-36-2021-ए-ग्यारह, दिनांक 17 सितम्बर, 2021 द्वारा एथेनॉल एवं जैव ईंधन उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु योजना स्वीकृत की है, जिसके अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2024 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन करने वाली समस्त एथेनॉल उत्पादन इकाइयां प्रोत्साहन हेतु पात्र होंगी;

2. और, यतः, समस्त पात्र एथेनॉल उत्पादन इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि हेतु 100 प्रतिशत विद्युत् शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गई है;

3. और, यतः, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 04 जून 2025 द्वारा सूचित किया है कि मेसर्स बैतूल बायोफ्यूल प्रायवेट लिमिटेड (DIP2501050001), जिला बैतूल, 33 केव्ही विद्युत् संयोजन पर 100 केव्हीए की सीमा तक के विद्युत् भार पर दिनांक 25 अप्रैल, 2024 (संयोजन दिनांक) से दिनांक 30 मार्च, 2029 तक की अवधि के लिए विद्युत् शुल्क से छूट का लाभ प्राप्त करने की पात्र है;

4. अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17, सन् 2012) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मेसर्स बैतूल बायोफ्यूल प्रायवेट लिमिटेड, जिला बैतूल की नवीन एथेनॉल उत्पादन इकाई को उसके 33 केव्ही विद्युत् संयोजन पर दिनांक 25 अप्रैल 2024 से दिनांक 30 मार्च, 2029 तक की अवधि के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची गई या संदाय की गई विद्युत् पर विद्युत् शुल्क के संदाय से छूट प्रदान करती है :

परंतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची या संदाय की गई विद्युत् पर विद्युत् शुल्क के संदाय से ऐसी छूट केवल 33 केव्ही उच्चदाब विद्युत् संयोजन पर 100 केव्हीए की सीमा तक के विद्युत् भार पर ही उपलब्ध होगी.

5. यह अधिसूचना दिनांक 25 अप्रैल, 2024 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी तथा दिनांक 30 मार्च, 2029 तक के लिए प्रवृत्त रहेगी.

No.10961-R-3093615-2025-XIII.- WHEREAS, the Industrial Policy and Investment Promotion Department, Government of Madhya Pradesh vide its order No. F-16-36-2021-A-XI, dated 17th September, 2021 has approved a Scheme for Promotion of Ethanol & Biofuel Production, under which all Ethanol Production units achieving commercial production before 31st March, 2024 shall be eligible for incentive;

2. AND, WHEREAS, 100% exemption from payment of electricity duty for a period of five years from the date of commencement of the commercial production has been provided to all the eligible Ethanol Production units;

(3) AND, WHEREAS, the Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited *vide* its letter dated 04th June, 2025 has intimated that M/s. Betul Biofuel Private Limited, (DIPIP 2501050001), District Betul is eligible to avail the benefit of exemption from electricity duty for the period from 25th April, 2024 (connection date) to 30th March, 2029 on electrical load limited to 100 KVA on 33 KV electricity connection;

(4) NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012), the State Government, hereby, exempts new Ethanol Production Unit of M/s. Betul Biofuel Private Limited, District Betul from payment of electricity duty on the electricity sold or supplied by distribution licensee to its 33 KV electricity connection for a period starting from 25th April, 2024 to 30th March, 2029:

Provided that such exemption from payment of electricity duty on the electricity sold or supplied by the distribution licensee shall be available only to the extent of 100 KVA electricity load on 33 KV high tension electricity connection.

5. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 25th April, 2024 and shall remain in force till 30th March, 2029.

क्र. 10962-आर-3093615-2025-तेरह.-यतः, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ-16-36-2021-ए-ग्यारह, दिनांक 17 सितम्बर 2021 द्वारा एथेनॉल एवं जैव ईंधन उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु योजना स्वीकृत की है जिसके अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 2024 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन करने वाली एथेनॉल उत्पादन इकाइयां प्रोत्साहन हेतु पात्र है;

2. और, यतः, समस्त पात्र एथेनॉल उत्पादन इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि हेतु 100 प्रतिशत विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गई है;

3. और, यतः, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 04 जून 2025 द्वारा सूचित किया है कि मेसर्स बैतूल बायोफ्यूल प्रायवेट लिमिटेड, जिला बैतूल, दिनांक 31 मार्च 2024 से 30 मार्च 2029 तक की अवधि के लिए उसके सह-उत्पादन प्लांट से उत्पादित विद्युत् पर विद्युत् शुल्क से छूट का लाभ प्राप्त करने की पात्र है;

4. अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मेसर्स बैतूल बायोफ्यूल प्रायवेट लिमिटेड, जिला बैतूल की नवीन एथेनॉल उत्पादन इकाई को उसके सह-उत्पादन प्लांट द्वारा उत्पादित विद्युत् पर दिनांक 31 मार्च 2024 से प्रारंभ होकर दिनांक 30 मार्च 2029 तक की अवधि के लिए विद्युत् शुल्क के संदाय से छूट प्रदान करती है;

5. यह अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2024 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी तथा दिनांक 30 मार्च 2029 तक के लिए प्रवृत्त रहेगी.

No. 10962-R-3093615-2025-XIII.— WHEREAS, the Industrial Policy and Investment Promotion Department, Government of Madhya Pradesh *vide* its order No. F-16-36-2021-A-XI, dated 17th September, 2021 has approved a Scheme for Promotion of Ethanol & Biofuel Production, under which all Ethanol Production units achieving commercial production before 31st March, 2024 shall be eligible for incentive;

2. AND, WHEREAS, 100% exemption from payment of electricity duty for a period of five years from the date of commencement of the commercial production has been provided to all the eligible Ethanol Production units;

3. AND, WHEREAS, the Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited *vide* its letter dated 04th June, 2025 has intimated that M/s. Betul Biofuel Private Limited, District Betul is eligible to avail the benefit of exemption from electricity duty on the electricity generated from its Co-gen plant for the period from 31st March, 2024 to 30th March, 2029;

4. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012), the State Government, hereby, exempts new Ethanol Production Unit of M/s. Betul Biofuel Private Limited, District Betul from payment of electricity duty on the electricity sold or supplied on the electricity generated from its Co-gen plant for a period starting from 31st March, 2024 to 30th March, 2029.

5. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 31st March, 2024 and shall remain in force till 30th March, 2029.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2025

क्र. 10987-आर-1122085-2023-तेरह.-यतः, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने अपने आदेश क्रमांक एफ-16-36-2021-ए-ग्यारह, दिनांक 17 सितम्बर 2021 द्वारा एथेनॉल एवं जैव ईंधन उत्पादन के प्रोत्साहन हेतु योजना स्वीकृत की है, जिसके अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 2024 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन करने वाली एथेनॉल उत्पादन इकाइयां प्रोत्साहन हेतु पात्र है;

2. और, यतः, समस्त पात्र एथेनॉल उत्पादन इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि हेतु विद्युत् शुल्क के भुगतान से 100 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है;

3. और, यतः, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 04 जून 2025 द्वारा सूचित किया है कि मेसर्स धानुका बायोटेक प्रायवेट लिमिटेड (डीआईपीआईपी 2203110001), जिला नीमच की एथेनॉल उत्पादन इकाई दिनांक 14 अप्रैल 2023 से 13 अप्रैल 2028 तक की अवधि के लिए उसके सह-उत्पादन संयंत्र से उत्पादित विद्युत् पर विद्युत शुल्क से छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है;

4. अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मेसर्स धानुका बायोटेक प्रायवेट लिमिटेड (डीआईपीआईपी 2203110001), जिला नीमच की नवीन एथेनॉल उत्पादन इकाई के सह-उत्पादन संयंत्र द्वारा उत्पादित विद्युत् पर दिनांक 14 अप्रैल 2023 से 13 अप्रैल 2028 तक की अवधि के लिए विद्युत् शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करती है;

5. यह अधिसूचना दिनांक 14 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी तथा दिनांक 13 अप्रैल, 2028 तक के लिए प्रवृत्त रहेगी.

No. 10987- R-1122085-2023-XIII.- WHEREAS, the Industrial Policy and Investment Promotion Department, Government of Madhya Pradesh *vide* its order No. F-16-36-2021-A-XI, dated 17th September, 2021 has approved a Scheme for Promotion of Ethanol & Biofuel Production, under which all Ethanol Production units achieving commercial production before 31st March, 2024 shall be eligible for incentive;

2. AND, WHEREAS, 100% exemption from payment of electricity duty for a period of five years from the date of commencement of the commercial production has been provided to all the eligible Ethanol Production units;

3. AND, WHEREAS, the Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited *vide* its letter dated 04th June, 2025 has intimated that M/s. Dhanuka Biotech Private Limited, (DIIP 2203110001), District Neemuch is eligible to avail the benefit of exemption from electricity duty on the electricity generated from its Co-gen plant for the period from 14th April, 2023 to 13th April, 2028;

4. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012), the State Government, hereby, exempts new Ethanol Production Unit of M/s. Dhanuka Biotech Private Limited, (DIIP 2203110001), District Neemuch from payment of electricity duty on the electricity sold or supplied on the electricity generated from its Co-gen plant for a period starting from 14th April, 2023 to 13th April, 2028;

5. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 14th April, 2023 and shall remain in force till 13th April, 2028.

क्र. 10988-आर-1122085-2023-तेरह.-यतः, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने अपने आदेश क्रमांक एफ-16-36-2021-ए-ग्यारह दिनांक 17 सितम्बर 2021 द्वारा एथेनॉल एवं जैव ईंधन उत्पादन के प्रोत्साहन हेतु योजना स्वीकृत की है, जिसके अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 2024 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन करने वाली समस्त एथेनॉल उत्पादन इकाइयां प्रोत्साहन हेतु पात्र है;

2. और, यतः, समस्त पात्र एथेनॉल उत्पादन इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख से पांच वर्ष के लिए विद्युत शुल्क के भुगतान से 100 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है,

3. और, यतः, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 04 जून 2025 द्वारा सूचित किया है कि मेसर्स धानुका बायोटेक प्रायवेट लिमिटेड (डीआईपीआईपी 2203110001), जिला नीमच की एथेनॉल उत्पादन इकाई 33 केव्ही विद्युत संयोजन पर 200 केव्ही की सीमा तक के विद्युत् भार पर दिनांक 14 अप्रैल 2023 से 13 अप्रैल 2028 तक की अवधि के लिए विद्युत् शुल्क से छूट का लाभ प्राप्त करने की पात्र है;

4. अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मेसर्स धानुका बायोटेक प्रायवेट लिमिटेड (डीआईपीआईपी 2203110001), जिला नीमच की नवीन एथेनॉल उत्पादन इकाई को उसके 33 केव्ही. विद्युत् संयोजन पर दिनांक 14 अप्रैल 2023 से प्रारंभ होकर 13 अप्रैल 2028 तक की अवधि के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची या प्रदाय की गई विद्युत् पर विद्युत् शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करती है :

परंतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची या प्रदाय की गई विद्युत् पर विद्युत शुल्क के भुगतान से ऐसी छूट केवल 33 के.व्ही. के उच्चदाब विद्युत् संयोजन पर 200 के.व्ही. की सीमा तक विद्युत् भार पर ही उपलब्ध होगी.

(5) यह अधिसूचना, दिनांक 14 अप्रैल 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी तथा दिनांक 13 अप्रैल 2028 तक के लिए प्रवृत्त रहेगी.

No. 10988-R-1122085-2023-XIII.- WHEREAS, the Industrial Policy and Investment Promotion Department, Government of Madhya Pradesh *vide* its order No- F-16-36-2021-A-XI, dated 17th September, 2021 has approved a Scheme for Promotion of Ethanol & Biofuel Production, under which all Ethanol Production units achieving commercial production before 31st March, 2024 shall be eligible for incentive;

2. AND, WHEREAS, 100% exemption from payment of electricity duty for a period of five years from the date of commencement of the commercial production has been provided to all the eligible Ethanol Production units;

3. AND, WHEREAS, the Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited *vide* its letter dated 04th June, 2025 has intimated that M/s. Dhanuka Biotech Private Limited, (DIPIP 2203110001), District Neemuch is eligible to avail the benefit of exemption from electricity duty for the period from 14th April, 2023 to 13th April, 2028 on electrical load limited to 200 KVA on 33 KV electricity connection;

4. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012), the State Government, hereby, exempts new Ethanol Production Unit of M/s. Dhanuka Biotech Private Limited, (DIPIP 2203110001), District Neemuch from payment of electricity duty on the electricity sold or supplied by distribution licensee to its 33 KV electricity connection for a period starting from 14th April, 2023 to 13th April, 2028:

Provided that such exemption from payment of electricity duty on the electricity sold or supplied by the distribution licensee shall be available only to the extent of 200 KVA electricity load on 33 KV high tension electricity connection.

5. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 14th April, 2023 and shall remain in force till 13th April, 2028.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही. के. गौड़, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

गृह (सामान्य) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2025

HOM/32/0006/2025-Gen-02(HOM) : जनगणना अधिनियम 1948 (1948 का 37) की धारा 4 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं पूर्व में इस संबंध में प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा नीचे दर्शाई गई अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को कॉलम (3) में दर्शाये प्राधिकार के अनुरूप कॉलम (4) में दर्शाये क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जनगणना 2027 के लिए जनगणना अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है :-

अनुसूची

स. क्र. (1)	पदाधिकारी (2)	प्राधिकार (3)	क्षेत्राधिकार (4)
1	संभागायुक्त	संभागीय जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित राजस्व संभाग के अंतर्गत
2	जिला कलेक्टर	प्रमुख जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित राजस्व जिले के अंतर्गत
3	जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित अपर कलेक्टर / संयुक्त कलेक्टर / डिप्टी कलेक्टर	जिला जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित राजस्व जिले के अंतर्गत
4	जिला योजना अधिकारी / जिला सांख्यिकी अधिकारी	अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित राजस्व जिले के अंतर्गत
5	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	अनुविभागीय जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
6	तहसीलदार	चार्ज जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
7	अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार	अतिरिक्त चार्ज जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
8	(अ) प्रशासक, नगर पालिक निगम (अधिक्रमण किए गए नगर पालिक निगमों में) या (ब) आयुक्त, नगर पालिक निगम (निर्वाचित नगर पालिक निगमों में)	प्रमुख जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित क्षेत्राधिकार की सीमा एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र (यदि कोई हो) के अंतर्गत
9	आयुक्त, नगर पालिक निगम / प्रशासक, नगर पालिक निगम द्वारा नामांकित अपर आयुक्त / उपायुक्त / अन्य वरिष्ठ अधिकारी	नगर जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित क्षेत्राधिकार की सीमा एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र (यदि कोई हो) के अंतर्गत
10	नगर पालिक निगमों के जोनल अधिकारी	जोनल चार्ज जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित क्षेत्राधिकार की सीमा एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र (यदि कोई हो) के अंतर्गत
11	नगर पालिका एवं नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ मुख्य प्रशासक अधिकारी	चार्ज जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित क्षेत्राधिकार की सीमा एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र (यदि कोई हो) के अंतर्गत
12	मुख्य अधिशासी अधिकारी, केन्टोनमेंट बोर्ड	चार्ज जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित क्षेत्राधिकार की सीमा एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र (यदि कोई हो) के अंतर्गत
13	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विशेष क्षेत्र	विशेष क्षेत्र चार्ज जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित क्षेत्राधिकार की सीमा के अंतर्गत

2. वर्णित अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन उपरोक्त दर्शाई अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट पदाधिकारियों को उक्त धारा की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनके सम्मुख कॉलम (4) में दर्शाए क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जनगणना पदाधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार एतद् द्वारा प्रत्यायोजित करता है।

3. वर्णित अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन उपरोक्त दर्शाई अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट पदाधिकारियों को उनके समक्ष कॉलम (4) में दर्शाए गए क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, उनके द्वारा नियुक्त जनगणना पदाधिकारियों के लिए लिखित में घोषणा-पत्र प्रसारित करने के लिए एतद् द्वारा प्राधिकृत करता है।

4. जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 11 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, कोई भी जनगणना अधिकारी अथवा ऐसा व्यक्ति जो जनगणना का कार्य करने में सहायता करने हेतु विधिवत् अपेक्षित हो एवं जो वर्णित अधिनियम के अंतर्गत अथवा इसके अंतर्गत निर्दिष्ट नियम के अंतर्गत आवंटित कार्य के निर्वहन करने से मना करता हो, अथवा कोई भी व्यक्ति जो ऐसे कार्य निर्वहन में अन्य व्यक्ति को बाधा उत्पन्न करता हो अथवा रोकता हो, को रूपये एक हजार तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा एवं दोष सिद्ध होने पर कारावास से, जो कि तीन वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

HOM/32/0006/2025-Gen-02(HOM) : In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the Section-4 of the Census Act 1948 (37 of 1948) and in supersession of all the previous Notifications issued in this regard, the State Government hereby appoints the authorities specified in column (2) of the Schedule below as Census Officers designated in column (3) for the Census 2027 within their respective jurisdiction as specified in column (4) thereof :-

SCHEDULE

S. No. (1)	Authorities (2)	Designation (3)	Jurisdiction (4)
1	Divisional Commissioner	Divisional Census Officer	Within the limits of their respective Revenue Division
2	District Collector	Principal Census Officer	Within the limits of their respective Revenue District
3	Additional Collector/ Joint Collector/ Deputy Collector nominated by the District Collector	District Census Officer	Within the limits of their respective Revenue District
4	District Planning Officer/ District Statistical Officer	Additional District Census Officer	Within the limits of their respective Revenue District
5	Sub-Divisional Officer (Revenue)	Sub-Divisional Census Officer	Within the limits of their respective jurisdiction
6	Tahsildar	Charge Census Officer	Within the limits of their respective jurisdiction
7	Additional Tahsildar/ Naib Tahsildar	Additional Charge Census Officer	Within the limits of their respective jurisdiction
8	(A) Administrator, Municipal Corporation (In superseded Municipal Corporations) OR (B) Commissioner, Municipal Corporation (In elected Municipal Corporations)	Principal Census Officer Principal Census Officer	Within the limits of their respective jurisdiction and outgrowth areas (if any) Within the limits of their respective jurisdiction and outgrowth areas (if any)
9	Additional Commissioner/ Deputy Commissioner/ Other Senior Officer nominated by the Commissioner, Municipal Corporation/ Administrator, Municipal Corporation	City Census Officer	Within the limits of their respective jurisdiction and outgrowth areas (if any)
10	Zonal Officer of Municipal Corporations	Zonal Charge Census Officer	Within the limits of their respective jurisdiction and outgrowth areas (if any)
11	Chief Municipal Officer/ Chief Executive Officer/ Chief Administrative Officer of Municipalities and Nagar Parishad	Charge Census Officer	Within the limits of their respective jurisdiction and outgrowth areas (if any)
12	Chief Executive Officer, Cantonment Board	Charge Census Officer	Within the limits of their respective jurisdiction and outgrowth areas (if any)
13	Chief Executive Officer, Special Area	Special Area Charge Census Officer	Within the limits of their respective jurisdiction

2. In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 4 of the said Act, the State Government hereby delegates the powers of appointing Census Officers conferred upon it by sub-section (2) of the said section to the authorities specified in column (2) of the above Schedule within the area specified in column (4) thereof.

3. In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the said Act, the State Government hereby authorises the authorities specified in column (2) of the above Schedule to sign declaration regarding the appointment of Census Officers within the areas specified in column (4) thereof.

4. As per the provisions of Section 11 of the Census Act, 1948, any Census-officer or any person lawfully required to give assistance towards the taking of census and who refuses to perform any duty allotted to her/him under this Act or any rule made thereunder or any person who hinders or obstructs another person in performing any such duty, shall be punishable with fine up to one thousand rupees and in case of a conviction, shall also be punishable with imprisonment which may extend to three years.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिषेक सिंह, सचिव एवं राज्य नोडल अधिकारी.

राज्य शासन के आदेश

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2025

क्रमांक/PCCF/7/0025/2024-FLR-PCCF-Part(2) :: भारतीय वन अधिनियम 1927(क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

//अनुसूची//

जिला - शिवपुरी

तहसील - पोहरी

वनमण्डल - शिवपुरी

वन परिक्षेत्र का नाम - पोहरी

अ.क्र.	वनमण्डल की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल(हे०)	
1	अहेरा (IV)	अहेरा	शासकीय भूमि	45 96 279 301 302 307 352 642 643 655	04.00 61.22 33.63 05.40 03.05 10.20 31.02 23.48 30.30 12.01	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड अहेरा (IV) के मुनारा क्रमांक 80 से मुनारा क्रमांक 82 एवं मुनारा क्रमांक 01 तक कृत्रिम वनसीमा। पूर्व - संरक्षित वनखण्ड अहेरा (IV) के मुनारा क्रमांक 01 से मुनारा क्रमांक 40 तक कृत्रिम वनसीमा। दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड अहेरा (IV) के मुनारा क्रमांक 40 से मुनारा क्रमांक 61 तक कृत्रिम वनसीमा। पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड

					अहैरा (IV) के मुनारा क्रमांक 61 से मुनारा क्रमांक 80 तक कृत्रिम वनसीमा।
					वनखण्ड की आन्तरिक सीमाएँ:- घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में उत्तर- संरक्षित वनखण्ड अहैरा (IV) के मुनारा क्रमांक 67/1 से मुनारा क्रमांक 67/5 तक कृत्रिम वनसीमा। पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड अहैरा (IV) के मुनारा क्रमांक 67/5 से मुनारा क्रमांक 67/9 तक कृत्रिम वनसीमा। दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड अहैरा (IV) के मुनारा क्रमांक 67/9 से मुनारा क्रमांक 67/11 तक कृत्रिम वनसीमा। पूर्व - संरक्षित वनखण्ड अहैरा (IV) के मुनारा क्रमांक 67/11 से मुनारा क्रमांक 67/15 एवं मुनारा क्रमांक 67/01 तक कृत्रिम वनसीमा।
				योग	214.31

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश

क्रमांक फाइल नम्बर 8-08 /2016/एफ सी दिनांक 06.05.2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वीकृत परियोजना लोअर ओर बृहद सिंचाई परियोजना (केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट) में प्रभावित 968.24 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 214.31 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शिवपुरी के आदेश प्रकरण क्रमांक / 51/2017-18/अ -20(3) नजूल आदेश दिनांक 18.12.2017 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी (पद नाम) के प्रतिवेदन दिनांक 14.10.2021 द्वारा अमिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार: - निरंक

2. सामुदायिक अधिकार: - निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2025

क्र. PCCF-7-0025-2024-FLR-PCCF-Part(2).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0025-2024-FLR-PCCF-Part(2), दिनांक 18 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 18th December 2025

No./PCCF/7/0025/2024-FLR-PCCF-Part(2) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District : - Shivpuri
Forest Division : - Shivpuri

Tahsil - Pohari
Forest Range - Pohari

S.N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Ahera (IV)	Ahera	Government Land	45 96 279 301 302 307 352 642 643 655 Total	04.00 61.22 33.63 05.40 03.05 10.20 31.02 23.48 30.30 12.01 214.31	North- Artificial Forest Boundary from Pillar No 80 to Pillar No 82 and Pillar No 01 of Protected Forest Block Ahera IV . East- Artificial Forest Boundary from Pillar No 01 to Pillar No 40 of Protected Forest Block Ahera IV . South- Artificial Forest Boundary from Pillar No 40 to Pillar No 61 of Protected Forest Block Ahera IV . West- Artificial Forest Boundary from Pillar No 61 to Pillar No 80 of Protected Forest Block Ahera IV . Internal Boundary of Forest Block:- In Anticlockwise direction North- Artificial Forest Boundary from Pillar No

					67/1 to Pillar No 67/5 of Protected Forest Block Ahera IV . West- Artificial Forest Boundary from Pillar No 67/5 to Pillar No 67/9 of Protected Forest Block Ahera IV . South- Artificial Forest Boundary from Pillar No 67/9 to Pillar No 67/11 of Protected Forest Block Ahera IV . East- Artificial Forest Boundary from Pillar No 67/11 to Pillar No 67/15 and Pillar No 67/01 of Protected Forest Block Ahera IV .
--	--	--	--	--	--

(A) Reason for publication of Notification:-

1. In accordance with the conditions laid down in the Govt. of India Ministry of Environment ,Forest and Climate Change New Delhi of order No 8-08/2016/FC dated 06-05-2021 and in lieu of 968.24 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Lower Orr Major Irrigation Project(Ken Betwa link project) of project Manager Orr river Pmu Bamorkala Shivpuri (Name of User Department/Agency/Person), the above mentioned Non Forest Land of 214.31 hectare transferred or mutated in favour of M.P. Govt., Forest Department by The Collector Shivpuri order No 51/2017-18/A -20 (3)NAZUL Order dated 18-12-2017 of 214.31 hectare transferred or muted for the purpose of Compensatory afforestation.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report dated 14.10.2021 of SDM Pohari (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

1. Individual Rights - Nil
2. Community Rights - Nil

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2025

क्रमांक/PCCF/7/0025/2024-FLR-PCCF-Part(3) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

//अनुसूची//

जिला - शिवपुरी

तहसील - पोहरी

वनमण्डल - शिवपुरी

वन परिक्षेत्र का नाम - पोहरी

अ.क्र.	वनमण्डल की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मालिक	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल(हे०)	
१	अहेरा (III)	अहेरा	शासकीय भूमि	148 174 177	35.00 25.41 15.00	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड अहेरा III के मुन्नारा क्रमांक 41 से मुन्नारा क्रमांक 47 एवं मुन्नारा क्रमांक 01 तक कृत्रिम वन सीमा । पूर्व - संरक्षित वनखण्ड अहेरा III में मुन्नारा क्रमांक 01 से मुन्नारा क्रमांक 17 तक कृत्रिम वन सीमा । दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड अहेरा III में मुन्नारा क्रमांक 17 से मुन्नारा क्रमांक 19 तक कृत्रिम वन सीमा । पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड अहेरा III में मुन्नारा क्रमांक 19 से मुन्नारा क्रमांक 41 तक कृत्रिम वन सीमा ।
				योग	75.41	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक फाईल नम्बर 8-08 /2018/एफ सी दिनांक 08.05.2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वीकृत परियोजना लोअर ओर बृहद सिंचाई परियोजना (केन येतक लिंक प्रजेक्ट)में प्रभावित 988.24 हेक्टेयर वनभूमि के एयज में प्राप्त 75.41 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शिवपुरी के आदेश प्रकरण क्रमांक / 51/2017-18/अ -20(3) नजूल आदेश दिनांक 18.12.2017 से 75.41 हेक्टेयर हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी (पद नाम) के प्रतिवेदन दिनांक 14.10.2021 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार: - निरंक

2. समुदायिक अधिकार: - निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2025

क्र. PCCF-7-0025-2024-FLR-PCCF-Part(3).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0025-2024-FLR-PCCF-Part(3), दिनांक 18 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 18th December 2025

No./PCCF/7/0025/2024-FLR-PCCF-Part(3) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District : - Shivpuri
Forest Division : - Shivpuri
Pohari

Tahsil : - Pohari
Forest Range : -

S.N.	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Ahera (III)	Ahera	Government Land	148	35.00	North- Artificial Forest Boundary Pillar No. 41 to Pillar No. 47 and pillar No. 01 of Protected Forest Block Ahera III. East- Artificial Forest Boundary Pillar No. 01 to Pillar No. 17 of Protected Forest Block Ahera III. South- Artificial Forest Boundary Pillar No. 17 to Pillar No. 19 of Protected Forest Block Ahera III. West- Artificial Forest Boundary Pillar No. 19 to Pillar No. 41 of Protected Forest Block Ahera III.
				174	25.41	
				177	15.00	
				Total	75.41	

(A) Reason for publication of Notification

1. In accordance with the conditions laid down in the Govt. of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change New Delhi of order No 8-08/2016/FC dated 06-05-2021 and in lieu of 968.24 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Lower Orr Major Irrigation Project (Ken Betwa link project) of project Manager Orr river Pmu Bamorkala Shivpuri (Name of User Department/Agency/Person), the above mentioned Non Forest Land of 75.41 hectare transferred or mutated in favour of M.P. Govt., Forest Department by The Collector Shivpuri order No 51/2017-18/A -20 (3)NAZUL Order dated 18-12-2017 of 75.41 hectare transferred or muted for the purpose of Compensatory

afforestation.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report dated 14-10-2021 of SDM Pohari (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

1. Individual Rights - Nil.
2. Community Rights - Nil.

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2025

क्रमांक/PCCF/7/0524/2025-FLR-PCCF-Part(1) :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा-29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची**जिला - राजगढ़****तहसील - खिलचीपुर****वनमंडल - सामान्य वनमंडल राजगढ़****वन परिक्षेत्र - राजगढ़**

अ.क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	लिम्बोदा	लिम्बोदा	शासकीय राजस्व ना.काबिल मद भूमि	6/2/2	23.000	उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 11 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से मुनारा क्रमांक 13 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से मुनारा क्रमांक 22 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 22 से मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
			योग		23.000	

क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा निर्देश तथा म0प्र0 शासन वन विभाग भोपाल के जाप क्रमांक/F-No 8-02/2014-FC दिनांक 15/9/15 में अधिरोपित शर्त के अनुरूप कुण्डलिया वृहद सिंचाई परियोजना में प्रभावित वनभूमि के एवज में प्राप्त ग्राम सारस्यावे की 73.656 हेक्टेयर गैर वनभूमि संरक्षित वन घोषित होने के उपरान्त डूब में आ जाने के कारण उसके बदले में प्राप्त 23.000 हे. गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला राजगढ़ के प्रकरण आदेश क्रमांक 0001/अ-59/2025-26 दिनांक 17.04.2025 हस्तांतरित अथवा नामांतरित

किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार तहसील खिलचीपुर द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक

2. सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2025

क्र. PCCF-7-0524-2025-FLR-PCCF-Part(1).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0524-2025-FLR-PCCF-Part(1), दिनांक 18 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव,

Bhopal, the 18th December 2025

No./PCCF/7/0524/2025-FLR-PCCF-Part(1) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE**District- Rajgarh****Forest Division- Rajgarh Division (T)****Tehsil- Khilchipur****Range- Rajgarh**

S.N.	Name of Forest Block	Details of land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area in He.	
1	Limboda	Limboda	Government NA KABIL HEAD Land	6/2/2	23.000	North: Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 1 to boundary pillar No. 11. East: Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 11 to boundary pillar No. 13. South: Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 13 to boundary pillar No. 22. West: Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 22 to boundary pillar No. 1.
TOTAL					23.000	

(A) Reason for Publication of Notification:-

1. As per the condition imposed in the final approval issued by the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi in letter No. / F No 8-02/2014-FC dated 15/9/15, 73.656 hectares of non-forest land of village Sarasyave received in lieu of forest land affected in Kundaliya major irrigation project, 23.000 hectares of non-forest land received in lieu of it due to submergence after being declared a protected forest, total 23.000 hectares, for the purpose of compensatory afforestation of the above-mentioned non-forest land, case order of the Court Collector District Rajgarh in favor of the Government of Madhya Pradesh Forest Department. No./0001/A-59/2025.26 passed by order dated 17.04.2025 due to transfer or renaming.

2. Details of other Reasons - Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate from Competent Revenue Officer Tehsildar Tehsil Khilchipur are as under;

1. Individual Rights – No individual rights of individuals exist on the above-mentioned non-forest land.
2. Community Rights - No community rights of any community exist on the above - mentioned non-forest land.

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2025

क्रमांक/PCCF/7/0730/2025-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला - मंदसौर

तहसील - शामगढ़

वनमंडल - मंदसौर

परिक्षेत्र - गरोठ

अ.क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	इन्द्रगढ़ भाग-1	बरखेड़ा नायक	काबिल काश्त (गैर वनभूमि)	761/1 (भाग)	32.14	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 5 से मुनारा क्रमांक 8 तक की कृत्रिम वनसीमा। पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 8 से मुनारा क्रमांक 11 तक की कृत्रिम वनसीमा। दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वनसीमा। पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा

						क्रमांक 5 तक की कृत्रिम वनसीमा।
2	इन्द्रगढ़ भाग-2	बरखेड़ा नायक	बडी (गैर वनभूमि)	845/1 (भाग)	26.11	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 3 तक की कृत्रिम वनसीमा। पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से मुनारा क्रमांक 7 तक की कृत्रिम वनसीमा। दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 7 से मुनारा क्रमांक 10 तक की कृत्रिम वनसीमा। पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वनसीमा।
3	इन्द्रगढ़ भाग-3	बरखेड़ा नायक	आरक्षित वन (गैर वनभूमि)	834 (भाग)	22.75	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से मुनारा क्रमांक 14 तक की कृत्रिम वनसीमा। पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 14 से मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वनसीमा। दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 8 तक की कृत्रिम वनसीमा। पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 8 से मुनारा क्रमांक 10 तक की कृत्रिम

						वनसीमा।
			योग	03	81.00	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 8-371/87-F-C दि. 25.09.1988, द्वारा अधिरोपित शर्त के अनुसार सिंचाई विभाग जलसंसाधन विभाग की स्वीकृत परियोजना इन्द्रगढ़ जलाशय में प्रभावित 90.00 हे० वनभूमि के एयज में प्राप्त कुल 81.00 हे० गैर वन भूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग पक्ष में कलेक्टर जिला मन्दसौर के आदेश क्रमांक 2/अ-19(4)/2022-23 दिनांक 12.09.2022 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कोई कारण विवरण- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार शामगढ़ के संलग्न प्रमाण-पत्र द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार:- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2025

क्र. PCCF-7-0730-2025-FLR-PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0730-2025-FLR-PCCF, दिनांक 18 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 18th December 2025

No./PCCF/7/0730/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of The Indian forest Act. 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declares The provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas Specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest Shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time.

SCHEDULE**District :- Mandsour****Tehsil :- Shamgarh****Forest Division :- Mandsour****Forest Range :- Garoth**

S.N.	Details of land included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1-	Indragrah Part-I	Barkheda Nayak	Kabil Kashth (Non Forest Land)	761/1 (Part)	32.14	North- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 5 to Pillar no. 8 of Protected Forest Block. East- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 8 to Pillar no. 11 of Protected Forest Block. South- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 11 to Pillar no. 1 of Protected Forest Block. West- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 1 to Pillar no. 5 of Protected Forest Block.
2-	Indragrah Part-II	Barkheda Nayak	Bardi (Non Forest Land)	845/1 Part	26.11	North: Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 1 to boundary pillar No. 3. East: Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 3 to boundary pillar No. 7. South: Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 7 to boundary pillar No. 10

						West: Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 10 to boundary pillar No. 1.
3-	Indragrah Part-III	Barkheda Nayak	Reserved Forest (Non Forest Land)	834 Part	22.75	North- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 10 to Pillar no. 14 of Protected Forest Block. East- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 14 to Pillar no. 1 of Protected Forest Block. South- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 1 to Pillar no. 8 of Protected Forest Block. West- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 8 to Pillar no. 10 of Protected Forest Block.
			Total	03	81.00	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi, order number 8.371/87.Th.B, dated 25.09.1988, in lieu of 90 hectares of forest land affected in Indragarh Reservoir in lieu of 90 hectares of forest land affected by the approved project of (Irrigation Department) Water Resources Department. **81.00 ha.** was transferred or renamed by order number 2/A-19(4)/2022-23 dated 12.09.2022 of Collector District Mandsaur in Madhya Pradesh Government Forest Department side for the purpose of compensatory afforestation Reasons to go.

2. Any other reason Details - Nil

(B) Khasra-wise detailed description of the rights on the above land as recorded by the attached certificate of the Competent Revenue Officer, Tehsildar Shamgarh, is as follows:-

(a) Individual rights:- Nil

(b) Community rights:- Nil

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2025

क्रमांक/PCCF/7/0245/2025-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला - रतनाम
वनमंडल - रतनाम

तहसील - रतनाम
परिक्षेत्र - रतनाम

अ.क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्द	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	सांवलियारुंडी अ	सांवलियारुंडी	बीड	3/1/1/1	13.70	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड सांवलियारुंडी के मुनारा क्रमांक 3 से संरक्षित वनखण्ड सांवलियारुंडी अ के मुनारा क्रमांक 1 तक कृत्रिम वन सीमा। पूर्व- संरक्षित वनखण्ड सांवलियारुंडी अ के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 5 तक कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड सांवलियारुंडी अ के मुनारा क्रमांक 5 से संरक्षित वनखण्ड सांवलियारुंडी के मुनारा क्रमांक 8 तक कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड सांवलियारुंडी के मुनारा क्रमांक 8 से मुनारा क्रमांक 3 तक वन सीमा।
				योग	13.70	

क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश क्रमांक 6-MPC002/2018-BHO/1131 दिनांक 19-02-2018 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग रतनाम की स्वीकृत परियोजना मकोडियारुंडी जलाशय योजना में प्रभावित 12.400 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 13.70 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 13.70 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला रतनाम के आदेश प्रकरण क्रमांक 1234/रीडर/2017 दिनांक 18/05/2017 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किए जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :-

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार रतनाम के प्रतिवेदन क्रमांक- दिनांक 07.04.2017 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है -

- व्यक्तिगत अधिकार - उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- सामुदायिक अधिकार- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2025

क्र. PCCF-7-0089-2025-FLR-PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0089-2025-FLR-PCCF, दिनांक 18 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 18th December 2025

No./PCCF/7/0245/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of The Indian forest Act. 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declares The provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas Specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest Shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time.

SCHEDULE**District :-Ratlam****Forest Division :- Ratlam****Tehsil :- Ratlam****Forest Range :- Ratlam**

S.N.	Details of land included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1-	Sawaliyarundi A	Sawaliyarundi	Beed	3/1/1/1	13.700	North – Artificial forest boundary from pillar No. 3 of Protected Forest Block Sanwaliyarrundi to pillar No. 1 of Protected Forest Block Sanwaliyarrundi-A. East – Artificial forest boundary from pillar No. 1 to pillar No. 5 of Protected Forest Block Sanwaliyarrundi-A.
				Total	13.700	South – Artificial forest boundary from pillar No. 5 of Protected Forest Block Sanwaliyarrundi-A to pillar No. 8 of Protected Forest Block Sanwaliyarrundi.

						West - Forest boundary from pillar No. 8 to pillar No. 3 of Protected Forest Block Sanwaliyarrundi.
--	--	--	--	--	--	--

(A) Reason for publication of Notification :-

1. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi Order Number 6-MPC002/2018-BHO/1131 Date 19-02-2018 in lieu of 12.400 hectare of forest land by executive engineer, WRD district Ratlam, the above mentioned non forest land of 13.70 hectare transferred or mutated in favor of Madhya Pradesh Forest Department Ratlam by the district collector Ratlam order number 1234/Reader/2017 dated 18/05/2017 for purpose of compensatory afforestation.

2- Details of other reasons: Nil

(B) The Khasra Wise Details Of Recorded Right On The Above Land-As Per Order Dated 18-05-2017 of Revenue officer (Tehsildaar) ,Tehsil Ratlam, District- Ratlam Are as Under.

(1) Rights of individual: - Nil

(2) Rights of Community: - Nil

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2025

क्रमांक/PCCF/7/0749/2025-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा-29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची**जिला - रायसेन****तहसील - सिलवानी****वनमण्डल - सामान्य वनमण्डल रायसेन****वन परिक्षेत्र - देवरी**

अ.क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	चरगवां-1	चरगवां	शासकीय भूमि (चारागाह मद)	91/1/2	9.731	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 3 तक कृत्रिम वनसीमा। पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से संरक्षित वनखण्ड चरगवां के मुनारा क्रमांक 170 तक की कृत्रिम वनसीमा। दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड चरगवां के मुनारा क्रमांक 170 से मुनारा क्रमांक 169 एवं 168 के मध्य स्थापित नया मुनारा क्रमांक 169/1 तक वनसीमा से होते हुए संरक्षित वनखण्ड चरगवां के मुनारा क्रमांक 9 तक की कृत्रिम वनसीमा। पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड चरगवां के मुनारा क्रमांक 9 से 12 होते हुये मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वनसीमा।
योग					9.731	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के आदेश क्रमांक-FP/MP/ROAD/438981/2023 दिनांक 18-07-2025 में अधिरोपित शर्त के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भोपाल की स्वीकृत परियोजना आदमपुर-मोरीकोड़ी मार्ग निर्माण में प्रभावित 9.731 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 9.731 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 9.731 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से म0प्र0 शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला रायसेन के आदेश क्रमांक/प्र.क्र.3/अ-20(3)कले./2024-25 दिनांक 05-08-2024 द्वारा हस्तांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार तहसील सिनवानी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है।

2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2025

क्र. PCCF-7-0749-2025-FLR-PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0749-2025-FLR-PCCF, दिनांक 18 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 18th December 2025

No./PCCF/7/0749/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE**District - Raisen****Tehsil - Silwani****Forest Division - Raisen Division (T)****Range - Deori**

S.N.	Name of Forest Block	Details of land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area in He.	
						North – Artificial forest boundary from pillar No. 1 to pillar No. 3 of the Protected Forest Block. East – Artificial forest boundary from pillar No. 3 of the Protected Forest Block up to pillar No. 170 of the Protected Forest Block Chargawan. South – Artificial forest boundary starting from pillar No. 170

1	CHARGAWAN-1	CHARGAWAN	Government Land (Charagah Mad)	91/1/2	9.731	of the Protected Forest Block Chargawan, passing along the forest boundary up to the newly established pillar No. 169/1 situated between pillar Nos. 169 and 168, and further up to pillar No. 9 of the Protected Forest Block Chargawan. West – Artificial forest boundary from pillar No. 9 to pillar No. 12 of the Protected Forest Block Chargawan, and thereafter up to pillar No. 1.
					TOTAL 9.731	

(A) Reason for Publication of Notification:-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India Regional Office Bhopal MP order no. FP/MP/ROAD/438981/2023 dated 18.07.2025 and in lieu of 9.731 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Construction of Adampur-Morikori Road NHAI Bhopal the above mentioned non forest land of 9.731 hectare is transferred or mutated in favor of m.p. govt. forest department by order No./P.C.3/A-20(3)Coll./2024-25 dated 05-08-2024 of Collector District Raisen M.P. for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per certificate from competent revenue officer tehsildar tehsil Silwani are as under;

1. Individual rights - no individual rights of individuals exist on the above-mentioned non-forest land.

2. Community rights - no community rights of any community exist on the above-mentioned non forest land.

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2025

क्रमांक/PCCF/7/0751/2025-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा-29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला - रायसेन

तहसील - सिलवानी

वनमण्डल - सामान्य वनमण्डल रायसेन

वन परिक्षेत्र - देवरी

अ.क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	चरगवां-2	चरगवां	शासकीय भूमि (चारागाह मद)	91/1/1/2	4.000	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड चरगवां-2 के मुनारा क्रमांक 15 से 16 व 1 होते हुये मुनारा क्रमांक 2 तक कृत्रिम वनसीमा। पूर्व- संरक्षित वनखण्ड चरगवां-2 के मुनारा क्रमांक 2 से मुनारा क्रमांक 7 तक कृत्रिम वनसीमा। दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड चरगवां-2 के मुनारा क्रमांक 7 से मुनारा क्रमांक 13 तक की कृत्रिम वनसीमा। पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड चरगवां-2 के मुनारा क्रमांक 13 से मुनारा क्रमांक 15 तक की कृत्रिम वनसीमा।
योग					4.000	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक-FP/MP/ROAD/454470/2023 दिनांक 29-05-2025 में अधिरोपित शर्त के अनुसार म0प्र0 सड़क विकास निगम भोपाल की स्वीकृत परियोजना हैदरगढ़-बेगमगंज मार्ग निर्माण में प्रभावित 3.300 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 4.000 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 4.000 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से म0प्र0 शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला रायसेन के आदेश क्रमांक/प्र.क्र.04/अ-20(3)कले./2024-25 दिनांक 05-08-2024 द्वारा हस्तांतरित किये जाने के क्ररण।

2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार तहसील सिलवानी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है।

2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2025

क्र. PCCF-7-0751-2025-FLR-PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0751-2025-FLR-PCCF, दिनांक 18 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव,

Bhopal, the 18th December 2025

No./PCCF/7/0751/2025-FLR-PCCF:: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District - Raisen

Tehsil - Silwani

Forest Division- Raisen Division (T)

Range - Deori

S.N.	Name of Forest Block	Details of land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area in He.	
1	CHARGAWAN-2	CHARGAWAN	Government Land (Charagah Mad)	91/1/1/2	4.000	North – Artificial forest boundary from pillar No. 15 to pillar No. 16 and pillar No. 1, and thereafter up to pillar No. 2 of Protected Forest Block Chargawan-2. East – Artificial forest boundary from pillar No. 2 to pillar No. 7 of Protected Forest Block Chargawan-2. South – Artificial forest boundary from pillar No. 7 to pillar No. 13 of Protected Forest Block Chargawan-2. West – Artificial forest boundary from pillar No. 13

						to pillar No. 15 of Protected Forest Block Chargawan-2.
					TOTAL	4.000

(A) Reason for Publication of Notification:-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India Regional Office Bhopal MP order no. FP/MP/ROAD/454470/2023 dated 29.05.2025 and in lieu of 3.300 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Construction/Widening of Haidargarh-Begamganj Road of Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited Bhopal the above mentioned non forest land of 4.000 hectare is transferred or mutated in favor of m.p. govt. forest department by order No./P.C.04/A-20(3)Coll./2024-25 dated 05-08-2024 of Collector District Raisen for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons - NIL

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per certificate from competent revenue officer tehsildar tehsil Silwani are as under;

1. Individual rights - No individual rights of individuals exist on the above-mentioned non-forest land.

2. Community rights - No community rights of any community exist on the above-mentioned non forest land.

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2025

क्रमांक/PCCF/7/0672/2025-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा यह घोषित करता है कि:-
(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट संरक्षित वनभूमि को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है।
(ख) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावद को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है।

अनुसूची

जिला:- नीमच

तहसील:- सिंगौली

वनमण्डल:- नीमच

वनपरिक्षेत्र:- रतनगढ़

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखंड	पटवारी हल्का क्रमांक	याम/संरक्षित वन खंड	खसरा क्रमांक पुराना	नया	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक	राजपत्र में धारा-सीमाओं का विवरण	राजपत्र में धारा-सीमाओं का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	फुसरिया (सी.ए.)	04	फुसरिया	1158	1158/2	7.750	-	PCCF/ 7/0170//2025-FLR-PCCF/ दिनांक 21-मई-2025	30 मई 2025	उत्तर:- फुसरिया (सी.ए.) संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 2 से मुनारा क्रमांक 3 तक की वनसीमा। पूर्व:- फुसरिया (सी.ए.) संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 3 से मुनारा क्रमांक 4 तक की वनसीमा। दक्षिण:- फुसरिया (सी.ए.) संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 4 से मुनारा क्रमांक 5 तक की वनसीमा।
योग (वन खंड का क्षेत्रफल)						7.750				तक की वनसीमा। पश्चिम:- फुसरिया (सी.ए.) संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 5 से 1 एवं मुनारा क्रमांक 2 तक की वनसीमा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2025

क्र. PCCF-7-0672-2025-FLR-PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0672-2025-FLR-PCCF, दिनांक 19 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 19th December 2025

No. PCCF/7/0672/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927) the State Government hereby:-

(A) declares that it has been decided to constitute the Protected Forest land Schedule below as Reserved Forest..

(B) appoints Sub Division Officer (Revenue) Jawad to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act.

Schedule

District:- Neemuch		Forest Division:- Neemuch		Forest Range:- Ratangarh		Description of Boundaries	
Tehsil:- Singoli		Area (Ha.)		If Protected Land its Notification Number and Date		Date of Publication of Gazette U/s 29 of IFA 1927	
No.	RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Old	New	Area (Ha.)	If Revenue Land then Head of the Land
1	Fusariya (C.A.)	04	Fusariya	1158	1158/2	7.750	-
Total (Block Area)				7.750			

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. 3-3-4-0001-2025-Sec-2-सोलह (LAB)

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2025

मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1969 (क्रमांक 27 सन 1969) की धारा 93-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, राज्य के समस्त श्रम अधिकारियों को, नीचे यथाविनिर्दिष्ट प्रशमन की राशि का संदाय करने पर, उक्त अधिनियम की धारा 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 एवं 93 के अधीन अपराधों के प्रशमन हेतु प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

अनुक्रमांक	शास्ति	प्रशमन की राशि
(1)	(2)	(3)
1	धारा 86 के अधीन, जहाँ अधिकतम पाँच हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।	एक हजार रुपये प्रतिदिन उस अवधि के लिए जिसमें किसी कर्मकार को अधिनियम की धारा 83 के उपबंधों के विरुद्ध अनुचित तरीके से पदच्युत, अवनत या दंडित किया जाता है।
2	धारा 87 के अधीन, जहाँ अधिकतम दो हजार पाँच सौ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है तथा तालाबंदी या बंदी के जारी रहने तक पाँच हजार रुपये प्रतिदिन, यदि ऐसी तालाबंदी या बंदी किसी श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया हो।	अवैध घोषित तालाबंदी या बंदी के जारी रहने तक एक लाख रुपये प्रतिदिन।
3	धारा 88 के अधीन जहाँ जुर्माना अधिकतम पाँच सौ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है एवं पचास रुपये प्रतिदिन अवैध हड़ताल या अवैध बंदी के जारी रहने तक।	अवैध हड़ताल या बंदी के जारी रहने तक पाँच हजार रुपये प्रतिदिन।
4	धारा 89 एवं धारा 91 के अधीन, जहाँ तीन मास के कारावास एवं अधिकतम पाँच हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।	पच्चीस हजार रुपये।
5	धारा 90, 92 एवं धारा 93 के अधीन, जहाँ अधिकतम पाँच सौ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।	दस हजार रुपये।

टीप:- यदि इस अधिनियम के अधीन किसी कर्मकार को शोध्य तथा देय राशि का संदाय नहीं किया गया है, तो प्रशमन हेतु आवेदन पर, उक्त राशि के संदाय करने के पश्चात ही विचार किया जाएगा।

No.3-3-4-0001-2025-Sec-2-XVI(LAB)

In exercise of the powers conferred by section 93-A of the Madhya Pradesh Industrial Relation Act 1960 (27 of 1960), the State Government, hereby, authorizes all Labour Officers of the State to compound the offences under section 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 and 93 of the said Act on payment of such sum, as specified below, namely:-

S.No.	Punishment	Amount of compounding
(1)	(2)	(3)
1.	Under section 86, where there is provision of maximum fine upto Five Thousand Rupees.	One Thousand Rupees per day for the period for which the employee is Kept dismissed, reduced or punished against the provisions of section 83 of the Act.
2.	Under section 87, where there is provision of maximum fine upto Two Thousand Five Hundred Rupees per day till the continuance of lock-out or closure, if such lock-out or closure is declared illegal by any labour court or Industrial Court.	One Lakh Rupees Per day till the illegal declared lock-out or closure continues.
3.	Under section 88, where there is provision of maximum fine upto Five Hundred Rupees and fifty Rupees per day till the continuance of illegal strike or illegal stoppage.	Five Thousand Rupees per day till the illegal strike or closure continues.
4.	Under section 89 and section 91, where there is provision of imprisonment of three months and maximum fine upto Five Thousand Rupees.	Twenty Five Thousand Rupees.
5.	Under section 90, 92 and 93, where there is provision of fine maximum upto Five Hundred Rupees.	Ten Thousand Rupees.

Note:- If any amount due and payable to any employee under this Act is not paid, then the application for compounding shall be considered only after payment of such amount.

क्र.3-3-4-0001-2025-Sec-2-सोलह (LAB)

मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003 (क्र. 9 सन् 2004) की धारा 36-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, राज्य के समस्त श्रम अधिकारियों को नीचे यथाविनिर्दिष्ट प्रशमन की उक्त राशि का संदाय करने पर, अधिनियम की धारा 35 एवं 36 के अधीन अपराधों के प्रशमन हेतु प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

अनुक्रमांक	शास्ति	प्रशमन की राशि
(1)	(2)	(3)
1	धारा 35 के अधीन, जहाँ तीन माह के करावास एवं अधिकतम एक हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।	दो हजार रुपये।
2	धारा 36 के अधीन, जहाँ अधिकतम एक हजार रुपये तक जुर्माने तथा उल्लंघन के जारी रहने की दशा में सौ रुपये प्रतिदिन जुर्माने का प्रावधान है।	एक हजार रुपये तथा उक्त उल्लंघन के जारी रहने की अवधि के लिए सौ रुपये प्रतिदिन।

टीप:- यदि उक्त अधिनियम के अधीन आवेदक को कोई अंशदान, इयूटी, कर एवं उपकर शोध्य तथा देय का संदाय शेष है, तो प्रशमन हेतु आवेदन पर, ऐसी राशि के संदाय करने के पश्चात ही विचार किया जाएगा।

No.3-3-4-0001-2025-Sec-2-XVI(LAB)

In exercise of the powers conferred by section 36-A of the Madhya Pradesh Asangathit Karmkar Kalyan Adhiniyam, 2003 (No.9 of 2004), the State Government, hereby, authorizes all Labour officers of the State to compound the offences under Section 35 and 36 of the said Act on payment of such sum, as specified below, namely:-

S.No.	Punishment	Amount of compounding
(1)	(2)	(3)
1.	Under section 35, where there is provision of imprisonment of three months and maximum fine upto One Thousand Rupees.	Two Thousand Rupees
2.	Under section 36, where there is provision of maximum fine upto One Thousand Rupees and Hundred Rupees per day in case of continuance of the said violation.	One Thousand Rupees and Hundred Rupees per day for the period of continuance of the said violation.

Note:- If any contribution, duty, tax and cess due and payable is remaining for payment to the applicant under the said Act, the application for compounding shall be considered only after payment of such amount.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बसंत कुर्रे, अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मऊगंज, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मऊगंज, दिनांक 27 नवम्बर 2025

प्र.क्र.अ-82-23-24-पत्र क्र. 373-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	चौका सोनवर्षा	0.768	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म.प्र.).	देवतालाब से पथरहा ब्याया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ-82-23-24-पत्र क्र. 375-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	हटवा सोहरान	3.857	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म.प्र.).	देवतालाब से पथरहा ब्याया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ-82-23-24-पत्र क्र. 377-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	मोलैया	0.070	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म.प्र.).	देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ-82-23-24-पत्र क्र. 379-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	मलैगंवा	1.660	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म.प्र.).	देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ-82-23-24-पत्र क्र. 381-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	पहाड़ी अमोच	1.572	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म.प्र.).	देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ-82-23-24-पत्र क्र. 383-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	पहाड़ी भोलाराम	0.229	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म.प्र.).	देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ-82-23-24-पत्र क्र. 385-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	घुघरी	1.370	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म.प्र.).	देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ-82-23-24-पत्र क्र. 387-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	पटपरा	0.843	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म.प्र.).	देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ-82-23-24-पत्र क्र. 389-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	बराती	1.111	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म.प्र.).	देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ-82-23-24-पत्र क्र. 391-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	डिघवार	0.823	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म.प्र.).	देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ-82-23-24-पत्र क्र. 393-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	पनिगंवा	0.332	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म.प्र.).	देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ-82-23-24-पत्र क्र. 395-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	पनिगंवा	1.623	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म.प्र.).	देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ-82-23-24-पत्र क्र. 397-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	बेलहाई	0.111	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म.प्र.).	देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ-82-23-24-पत्र क्र. 399-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	शुकुलगवां	0.630	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म.प्र.).	देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ-82-23-24-पत्र क्र. 401-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	डिघवार	2.389	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म.प्र.).	देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ-82-23-24-पत्र क्र. 403-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	बराती	2.197	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म.प्र.).	देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ-82-23-24-पत्र क्र. 405-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	भूण्डहा	0.662	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म.प्र.).	देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ-82-23-24-पत्र क्र. 407-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	बहेरी चौवान	2.505	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म.प्र.).	देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ-82-23-24-पत्र क्र. 409-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	कचोरिया	0.424	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म.प्र.).	देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ-82-23-24-पत्र क्र. 411-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	बरा 1	0.470	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म.प्र.).	देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ-82-23-24-पत्र क्र. 413-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	बहेरी नानकार	1.408	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म.प्र.).	देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ-82-23-24-पत्र क्र. 415-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	ढेरा	1.190	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म.प्र.).	देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ-82-23-24-पत्र क्र. 417-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	पथरहा नं. 2	1.716	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ./स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म.प्र.).	देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ-82-23-24-पत्र क्र. 419-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	पहाड़ी दलवीर सिंह	0.136	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ./स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म.प्र.).	देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ-82-23-24-पत्र क्र. 421-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	गोदरी 1	0.514	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ./स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म.प्र.).	देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ-82-23-24-पत्र क्र. 423-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	पहाड़ी निरपत सिंह	1.516	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ./स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म.प्र.).	देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमोंच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ-82-23-24-पत्र क्र. 425-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	खुर्रा मु. शाहपुर	0.224	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ./स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म.प्र.).	देवतालाब से पथरहा व्हाया ढनगन हटवा सोहरान टोला अमौच पहाड़ी निरपत सिंह मार्ग तक निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय कुमार जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 11 दिसम्बर 2025

पत्र क्र. 813-भू-अर्जन-2025.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (1) 12 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर नगर	खौर-2	0.250	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ./स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म.प्र.).	रीवा गड्डी मार्ग से ग्राम खौर से लोही सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 816-भू-अर्जन-2025.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (1) 12 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर नगर	खौर-1	1.824	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ./स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म.प्र.).	रीवा गड्डी मार्ग से ग्राम खौर से लोही सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 819-भू-अर्जन-2025.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (1) 12 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर नगर	उमरिहा	0.424	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ./स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म.प्र.).	अजगरहा इटहा मोड़ से दुबहा बहुरीबांध पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 822-भू-अर्जन-2025.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (1) 12 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	उकठी उर्फ हरिहरपुर	0.614	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ./स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म.प्र.).	अजगरहा इटहा मोड़ से दुबहा बहुरीबांध पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 825-भू-अर्जन-2025.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (1) 12 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर नगर	इटौरा	0.740	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ./स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म.प्र.).	अजगरहा इटहा मोड़ से दुबहा बहुरीबांध पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 828-भू-अर्जन-2025.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (1) 12 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर नगर	अल्लानगरी	0.388	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ./स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म.प्र.).	अजगरहा इटहा मोड़ से दुबहा बहुरीबांध पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 831-भू-अर्जन-2025.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (1) 12 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	बरा-2	0.182	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ./स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म.प्र.).	अजगरहा इटहा मोड़ से दुबहा बहुरीबांध पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 834-भू-अर्जन-2025.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (1) 12 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर नगर	बरा-1	0.532	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ./स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म.प्र.).	अजगरहा इटहा मोड़ से दुबहा बहुरीबांध पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 837-भू-अर्जन-2025.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (1) 12 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर नगर	बहुरीबाँध	4.373	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ./स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म.प्र.).	अजगरहा इटहा मोड़ से दुबहा बहुरीबांध पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 840-भू-अर्जन-2025.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (1) 12 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	इटहा	3.992	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ./स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म.प्र.).	अजगरहा इटहा मोड़ से दुबहा बहुरीबांध पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 843-भू-अर्जन-2025.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (1) 12 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर नगर	अजगरहा-1	1.300	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ./स.) संभाग क्र.-1, जिला रीवा (म.प्र.).	अजगरहा इटहा मोड़ से दुबहा बहुरीबांध पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मैहर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मैहर, दिनांक 11 दिसम्बर 2025

प्र.क्र. अ 82-25-26-पत्र क्र.-203-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मैहर	मैहर	जरियारी	0.7260	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग मैहर, अ.मु. मैहर, जिला मैहर, (म.प्र.).	रीवा शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा), मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ 82-25-26-पत्र क्र.-204-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मैहर	अमरपाटन	नौगवां	6.1500	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर, जिला मैहर, (म.प्र.).	रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर के नौगवां माइनर एवं बजवाही माइनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा), मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. अ 82-25-26-पत्र क्र.-205-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मैहर	अमरपाटन	गोरा	3.7741	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर, जिला मैहर, (म.प्र.).	रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा), मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. अ 82-25-26-पत्र क्र.-206-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मैहर	अमरपाटन	मौहट	4.2940	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर, जिला मैहर, (म.प्र.).	रीवा शाखा नहर अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा के मौहट माइनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा), मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ 82-25-26-पत्र क्र.-207-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मैहर	अमरपाटन	किंगरा वीरदत्त	0.9966	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर, जिला मैहर, (म.प्र.).	रीवा शाखा नहर अंतर्गत किंगरा वीरदत्त माइनर 1 एवं 2 नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा), मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. अ 82-25-26-पत्र क्र.-208-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मैहर	अमरपाटन	धतुई	2.6320	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर, जिला मैहर, (म.प्र.).	रीवा शाखा नहर अंतर्गत धतुई माइनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा), मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ 82-25-26-पत्र क्र.-209-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मैहर	अमरपाटन	धमना	3.9570	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर, जिला मैहर, (म.प्र.).	रीवा शाखा नहर अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा के मझगवां फीडर वितरिका नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा), मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ 82-25-26-पत्र क्र.-210-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मैहर	अमरपाटन	धुइसा	1.6910	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर, जिला मैहर, (म.प्र.).	रीवा शाखा नहर अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा के मझगवां माइनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा), मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ 82-25-26-पत्र क्र.-211-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मैहर	अमरपाटन	धतुई	0.7480	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर, जिला मैहर, (म.प्र.).	रीवा शाखा नहर अंतर्गत धतुई सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा), मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ 82-25-26-पत्र क्र.-212-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मैहर	अमरपाटन	लालपुर	3.5430	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर, जिला मैहर, (म.प्र.).	रीवा शाखा नहर अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा के बकैना माइनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा), मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ 82-25-26-पत्र क्र.-213-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मैहर	अमरपाटन	जुड़मनिया	2.5530	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर, जिला मैहर, (म.प्र.).	रीवा शाखा नहर अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा के जुड़मनियां माइनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. अ 82-25-26-पत्र क्र.-214-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मैहर	अमरपाटन	गोरा	8.0520	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर, जिला मैहर, (म.प्र.).	रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका के गोरा माइनर 1 एवं गोरा माइनर 2 के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ 82-25-26-पत्र क्र.-215-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मैहर	अमरपाटन	धौरहरा	8.5590	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर, जिला मैहर, (म.प्र.).	रीवा शाखा नहर अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा के धौरहरा माइनर नहर हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ 82-25-26-पत्र क्र.-216-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मैहर	अमरपाटन	मझगवां	2.7090	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर, जिला मैहर, (म.प्र.).	रीवा शाखा नहर अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर की मझगवां माइनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ 82-25-26-पत्र क्र.-217-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मैहर	अमरपाटन	खरमसेड़ा	1.4190	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर, जिला मैहर, (म.प्र.).	रीवा शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ 82-25-26-पत्र क्र.-218-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मैहर	अमरपाटन	बकैना	1.1510	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर, जिला मैहर, (म.प्र.).	रीवा शाखा नहर अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा के बकैना माइनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ 82-25-26-पत्र क्र.-219-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मैहर	अमरपाटन	बैदुरा उन्मुक्त	1.2670	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर, जिला मैहर, (म.प्र.).	रीवा शाखा नहर अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा के वीरदत्त सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ 82-25-26-पत्र क्र.-220-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मैहर	अमरपाटन	ककरा	3.9310	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर, जिला मैहर, (म.प्र.).	रीवा शाखा नहर अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा के मौहट सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ 82-25-26-पत्र क्र.-221-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मैहर	अमरपाटन	चोरखंडी	0.6060	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर, जिला मैहर, (म.प्र.).	रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर के मढ़ी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ 82-25-26-पत्र क्र.-222-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मैहर	अमरपाटन	करिया पतेर	0.9260	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर, जिला मैहर, (म.प्र.).	रीवा शाखा नहर अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा के मझगावां फीडर वितरिका नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.अ 82-25-26-पत्र क्र.-223-भू-अर्जन-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मैहर	अमरपाटन	पोड़ी खूर्द	2.1580	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ.मु. मैहर, जिला मैहर, (म.प्र.).	रीवा शाखा नहर अंतर्गत धतुई माइनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रानी बाटड़, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 17 दिसम्बर 2025

नस्ती क्र.-2020 एलए-21390-भू-अर्जन-प्र.क्र.0002-अ-82-2025-26.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अन्तर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

(क)	जिला -	खण्डवा
(ख)	तहसील -	खण्डवा
(ग)	ग्राम -	खण्डवा तरफ कुन्बी
(घ)	अर्जित रकबा -	0.1125 हेक्टेयर.

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	अर्जित भूमि का खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित भूमि का रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	अशोक पिता हिम्मत, निवासी-खण्डवा तरफ कुन्बी	711/3/1	0.4534	0.1125

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है - खण्डवा नगर निगम सीमा क्षेत्र में श्री दादाजी मंदिर के पीछे से पंधाना रोड मुख्य मार्ग के मध्य में 2 लेन मार्ग चौड़ाई 9 मीटर, लंबाई 125 मीटर निर्माण कार्य हेतु मार्ग के एक रेखन में आ रही निजी भूमि.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/आयुक्त नगर निगम, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, अनुविभागीय भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) बरेली, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश
बरेली, दिनांक 30 सितम्बर 2025

क्र.-2514-भू-अर्जन-2025.- प्र. क्र. 0008-अ-82-2023-24.-चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-12-2-2014 सात-2ए, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है. नीति अनुसार धारकों द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है. अतएव निम्न दर्शित भूमि धारकों से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा :-

ग्राम का नाम - गडरवास

तहसील-बाडी

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित रकबा (हे.में)	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	गडरवास	नरेन्द्र सिंह आ. रामसिंह, जाति पुर्विया, निवासी-ग्राम गडरवास	64/4/2/1	1.114	0.067	कार्यपालन यंत्री, बारना वायी नहर संभाग, बाडी	बरना परियोजना की दायीं मुख्य नहर एम-2/डी/ आरबीसी नवीन सब माइनर नहर निर्माण हेतु ग्राम गडरवास.

संतोष मुदगल, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला मऊगंज, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

प.क्र.-171-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

मऊगंज, दिनांक 4 नवम्बर 2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - रजहा विन्धेश्वरी 891
क्षेत्रफल - 0.001 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	206/1 206/2	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण" में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-173-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - दुबगमा 489
क्षेत्रफल - 0.001 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	67	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण" में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-175-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - देवीपुर 503
क्षेत्रफल - 0.001 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	29	0.001

1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।

2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-177-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - भारिगंवा 778
क्षेत्रफल - 0.008 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (.में.हे)
1	1114	0.001
2	982/1 982/2	0.001
3	735	0.001
4	867/1 867/2 867/3	0.001
5	614	0.001
6	769/1/1 769/1/2 769/1/3 769/2 769/3 769/4	0.001
7	169	0.001
8	469/1 469/2	0.001

1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।

2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-179-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - बदिगंवा 661
क्षेत्रफल - 0.002 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	32/1	0.001
	32/2/1	
	32/2/2	
2	169/1	0.001
	169/2	
	169/3	
	169/4	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-181-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - अतरैला 46
क्षेत्रफल - 0.001 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (.में.हे)
1	156/1	0.001
	156/2/1	
	156/2/2	
	156/2/3/1	
	156/2/3/2	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-183-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - अहिरगवाँ 45
क्षेत्रफल - 0.003

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	103	0.001
2	306/1 306/2	0.001
3	212/1/1 212/1/2 212/1/3	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-185-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - सलैया रुस्तम 959
क्षेत्रफल - 0.002 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	312	0.001
2	214	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-187-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - शुकुली 995
क्षेत्रफल - 0.003 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	53	0.001
2	178	0.001
3	251	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-189-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - पनगंगा 606
क्षेत्रफल - 0.001 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	60/1 60/2 60/3 60/4 60/5 60/6 60/7 60/8 60/9 60/10	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-191-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - सलैया दामोदर 961
क्षेत्रफल - 0.003 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	237/1/1 237/1/2	0.001
2	130	0.001
3	37/1/1/1 37/1/1/2 37/1/2 37/2/1/1 37/2/2	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण" में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-193-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - पतुआ 645
क्षेत्रफल - 0.001 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	15/1 15/2	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण" में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-195-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - रजहा 893
क्षेत्रफल - 0.002 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	14	0.001
2	92	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण" में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-197-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - खरिका 194
क्षेत्रफल - 0.003 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा(हे.में)
1	674/1 674/2	0.001
2	508	0.001
3	194/1 194/2	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण" में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-199-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - कोरिंगवा 155
क्षेत्रफल - 0.004 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	724	0.001
2	335/1 335/2 335/3 335/4	0.001
3	157	0.001
4	1225	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-201-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - करही 101
क्षेत्रफल - 0.003 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा हे.में
1	422/1 422/2	0.001
2	293	0.001
3	115	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-203-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - नरैनी 522
क्षेत्रफल - 0.003 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा(हे.में)
1	209	0.001
2	107	0.001
3	141/1 141/2 141/3 141/4 141/5	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-205-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - सुमदा कला 998
क्षेत्रफल - 0.001 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	418	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-207-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - सलैया हनुमान 960
क्षेत्रफल - 0.001 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	23/1/1 23/1/2 23/2	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-209-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - ताला 430
क्षेत्रफल - 0.001 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	8	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण" में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-211-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - मगनिया 800
क्षेत्रफल - 0.003 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा(हे.में)
1	264/1/1	0.001
	264/1/2	
	264/2/1	
	264/2/2	
	264/2/3	
2	42	0.001
3	168/1	0.001
	168/2	
	168/3	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण" में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-213-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - महतिनिया 230
क्षेत्रफल - 0.002 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	44	0.001
2	138/1/1 138/1/2/1 138/1/2/2 138/1/2/3 138/1/2/4 138/2/1/1 138/2/1/2 138/2/2 138/2/3 138/3/1 138/3/2 138/4/1/1/1 138/4/1/1/2 138/4/1/2 138/4/1/3 138/4/2/2 138/4/2/3 138/4/4	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-215-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - पहरखा 595
क्षेत्रफल - 0.005 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	593/1 593/2	0.001
2	316	0.001
3	96/1 96/2	0.001
4	1107	0.001
5	848	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-217-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - पथरौड़ा कला 583
क्षेत्रफल - 0.002 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	365/1/1 365/1/2 365/1/3 365/1/4 365/2/1 365/2/2 365/3	0.001
2	73	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-219-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - चिगिरिका टोला खुर्द 286
क्षेत्रफल - 0.001 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	97	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण" में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-221-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - पकरा 559
क्षेत्रफल - 0.002 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	435/1/1 435/1/2 435/2/1 435/2/2	0.001
2	55	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण" में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-223-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्ज पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - कबरा पैपखार 96
क्षेत्रफल - 0.004 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा हे.
1	424/1 424/2 424/3/1 424/3/2 424/3/3 424/3/4 424/4/1/1/1 424/4/1/1/2 424/4/1/1/3 424/4/1/1/4 424/4/1/2 424/4/2/1 424/4/2/1 424/4/2/2/1 424/4/2/2/2 424/12	0.001
2	162/1 162/2 162/3/1 162/3/2 162/3/3 162/4 162/5 162/6	0.001
3	62/1 62/2 62/3 62/4	0.001
4	293	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-225-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - रजहा रामप्रसाद 894
क्षेत्रफल - 0.001 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	55/1/1/1 55/1/1/2 55/1/2	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण" में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-227-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - टटीहरा खुर्द 368
क्षेत्रफल - 0.001 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	90	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण" में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-229-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - चकरहा टीला 269
क्षेत्रफल - 0.001 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	22/1 22/2/1 22/2/2	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-231-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - जिलहड़ी 349
क्षेत्रफल - 0.003 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	57/1 57/2	0.001
2	210	0.001
3	355/1 355/2 355/3 355/4	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-333-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - भागवतपुरा 764
क्षेत्रफल - 0.001 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (.में.हे)
1	9	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-235-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - खुझवा सुअरहा 201
क्षेत्रफल - 0.007 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	62,	0.001
2	141,	0.001
3	219	0.001
4	375	0.001
5	410	0.001
6	324	0.001
7	282	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-237-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - जाकी कोठार
क्षेत्रफल - 0.002 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा हे.
1	26/1/7/2, 26/1/5/3, 26/1/5/2, 26/1/5/1, 26/1/1/9, 26/1/1/8, 26/1/1/4, 26/1/1/3, 26/1/1/2, 26/1/1/1	0.001
2	56	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-239-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - लोढ़ बढैया 929
क्षेत्रफल - 0.003 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में)
1	34/1/1/2 34/1/1/1, 34/1/2	0.001
2	81/2, 81/1	0.001
3	111	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-241-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - भागो 782
क्षेत्रफल - 0.005 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (.में.हे)
1	83	0.001
2	202/1, 202/2/2	0.001
3	266	0.001
4	318/1, 318/2, 318/1/1	0.001
5	410/1, 410/2/1, 410/2/2	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-243-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - गिनगंवा 225
क्षेत्रफल - 0.005 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (.में.हे)
1	29	0.001
2	201/1, 201/2, 201/1/1	0.001
3	275	0.001
4	488	0.001
5	425	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-245-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - सुअरहा 990
क्षेत्रफल - 0.004 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में)
1	75	0.001
2	156	0.001
3	246	0.001
4	446	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

प.क्र.-247-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - अतरैला 11
क्षेत्रफल - 0.001 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (.में.हे)
1	135	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

प.क्र.-249-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

भूमि का विवरण :-

|| अनुसूची ||

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - खुड़वा सुखदेव सिंह 166
क्षेत्रफल - 0.002 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	8/1/2/1,8/1/2/2,8/1/3, 8/1/4,8/1/5,8/2,8/1/1,	0.001
2	76/1,76/2,76/3,76/4	0.001

1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-251-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

भूमि का विवरण :-

|| अनुसूची ||

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - खुड़वा उर्फ खजुरहा 199
क्षेत्रफल - 0.002 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.)
1	5	0.001
2	49	0.001

1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-253-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

भूमि का विवरण :-

|| अनुसूची ||

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - कंधवार 91
क्षेत्रफल - 0.001 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (.में.हे)
1	58	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-255-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

भूमि का विवरण :-

|| अनुसूची ||

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - बहेरा 710
क्षेत्रफल - 0.002 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (.में.हे)
1	519	0.001
2	421	0.001
3	245	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-257-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - तवरगँवा 433
क्षेत्रफल - 0.002 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (.में.हे)
1	45	0.001
2	239/1, 239/2, 239/3	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

प.क्र.-259-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - तवरगँवा 437
क्षेत्रफल - 0.002 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5	0.001
2	106	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

प.क्र.-261-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - तवरगँवा 433
क्षेत्रफल - 0.003 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (.में.हे)
1	280/1/1,280/1/2,280/1/3, 280/1/4,280/2/1,280/2/2,	0.001
2	184/3/1,184/3/2,184/1/1, 184/1/2,184/1/3,184/2	0.001
3	68/1,68/2	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-263-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - बनई 685
क्षेत्रफल - 0.003 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (.में.हे)
1	188	0.001
2	930	0.001
3	1500	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-265-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - चपगावा 270
क्षेत्रफल - 0.006 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (.में.हे)
1	316	0.001
2	414	0.001
3	214	0.001
4	5	0.001
5	83,84	0.001
6	60	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-267-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - खैरहाई 209
क्षेत्रफल - 0.001 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (.में.हे)
1	90	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-269-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - अमलकपुर 16
क्षेत्रफल - 0.003 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (.में.हे)
1	43	0.001
2	176	0.001
3	354	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-271-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - अल्हावा 37
क्षेत्रफल - 0.008 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (.में.हे)
1	224	0.001
2	6	0.001
3	143	0.001
4	303	0.001
5	347	0.001
6	387	0.001
7	426	0.001
8	534	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-273-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - हस्ली 1059
क्षेत्रफल - 0.002 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (.में.हे)
1	218	0.001
2	316	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-275-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - तवरगँवा 436
क्षेत्रफल - 0.001 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा हे.
1	95, 96	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-277-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - कौदा 653
क्षेत्रफल - 0.001 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (.में.हे)
1	31	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

प.क्र.-279-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - मैरहा 876
क्षेत्रफल - 0.002 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (.में.हे)
1	28,	0.001
2	171,112	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

प.क्र.-281-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - अटरा 3
क्षेत्रफल - 0.001 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (.में.हे)
1	195	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

प.क्र.-288-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

मऊगंज, दिनांक 11 नवम्बर 2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - सेमरिया वृन्दावन
क्षेत्रफल - 0.002 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	77	0.001
2	245/1/1, 245/2, 245/3	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

प.क्र.-290-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - सेमरिया 1009
क्षेत्रफल - 0.003 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	56,	0.001
2	224	0.001
3	387/1/1, 387/1/2, 387/2/1, 387/2/2	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-292-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - उरुआ
क्षेत्रफल - 0.004 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	25	0.001
2	75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 75/5	0.001
3	140	0.001
4	192	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-294-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वाणत भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - शुकुलगंवा 993
क्षेत्रफल - 0.001 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	103	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

प.क्र.-296-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - घोरा कोठार
क्षेत्रफल - 0.003 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	23	0.001
2	37	0.001
3	76	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

प.क्र.-298-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - घेलौही कोठार
क्षेत्रफल - 0.001 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	167	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-200-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - मुदरिया
क्षेत्रफल - 0.003 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	12,	0.001
2	105,	0.001
3	318/1/1, 318/1/2, 318/1/3, 318/1/4, 318/1/5, 318/1/5, 318/1/6, 318/1/7, 318/1/8, 318/1/9, 318/2/1, 318/2/2, 318/2/3, 318/2/4, 318/3	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-302-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - नरैनी
क्षेत्रफल - 0.003 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	491,492	0.001
2	1. 325/8/1, 325/8/2, 328/8/3, 328/8/4	0.001
3	99/1, 99/2	0.001

1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-304-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - सेमरिया कुञ्जबहेरिया
क्षेत्रफल - 0.004 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	95,	0.001
2	247,	0.001
3	378/1, 378/2	0.001
4	523/1, 523/2/1, 523/2/2	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-306-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - रतनगंवा मुडवार
क्षेत्रफल - 0.002 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	68,66	0.001
2	179	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-308-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - मालातर 847
क्षेत्रफल - 0.001 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	68	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-310-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - मोर्चा अटारी
क्षेत्रफल - 0.001 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	78/1, 78/2, 87/1	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-312-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - नौद्विया 554
क्षेत्रफल - 0.006 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	32	0.001
2	127	0.001
3	196	0.001
4	368	0.001
5	439	0.001
6	513, 514	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-314-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - महगू पुरवा 829
क्षेत्रफल - 0.001 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	11/1, 11/2	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-316-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - ऊधौ पुरवा
क्षेत्रफल - 0.005 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	90/1/1,90/1/2/1,90/1/2/2,90/2,90/3/1,90/3/2,90/4/1,90/4/2	0.001
2	121/1,121/2,	0.001
3	254,	0.001
4	360,	0.001
5	426,426/27/1,426/27/2,426/27/3	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-318-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - शुकुलगंवा 992
क्षेत्रफल - 0.007 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	9/1/1/1, 9/1/1/2, 9/1/2,9/2	0.001
2	44/1, 44/2	0.001
3	149/1, 149/2	0.001
4	245/1, 245/2/1, 245/2/2, 245/3/1, 245/3/2, 245/4, 245/5/1, 245/5/2, 245/5/3, 245/6/1	0.001
5	317/1, 317/2, 317/3, 317/4	0.001
6	374/1, 374/2, 374/3/1, 374/3/2/1, 374/3/2/2, 374/4	0.001
7	493/1/1, 493/1/2/1, 493/1/2/2, 493/2, 493/1/2/3, 493/1/3, 493/1/4	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-320-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - पकरा 558
क्षेत्रफल - 0.007 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	455,	0.001
2	335,	0.001
3	280/1/1, 280/1/2, 280/2/1, 280/2/2	0.001
4	179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5	0.001
5	106,	0.001
6	54/1/1, 54/1/2, 54/1/3, 54/1/4, 54/1/5, 54/1/6/1, 54/1/6/2, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5	0.001
7	28/1, 28/2	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

प.क्र.-322-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - महुबागदरा
क्षेत्रफल - 0.005 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	64,	0.001
2	30/2,	0.001
3	165/1/1, 165/1/2, 165/2, 165/3/1, 165/3/2, 16/4, 165/5	0.001
4	204/1/1, 204/1/2, 204/1/3, 204/1/4, 204/1/5, 204/1/6	0.001
5	234/1, 234/2, 234/3, 234/4	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

प.क्र.-324-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - पहाडी धनीराम
क्षेत्रफल - 0.001 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	165	0.001

1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

प.क्र.-326-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - पहाडी भोलाराम 604
क्षेत्रफल - 0.001 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	33/1, 33/2, 33/3; 33/4, 33/5	0.001

1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

प.क्र.-328-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - बहिकाथा
क्षेत्रफल - 0.002 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	52/1,52/2	0.001
2	119/1,119/2,119/3	0.001

1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

प.क्र.-330-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - ढोगावल
क्षेत्रफल - 0.004 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	37	0.001
2	103/1,103/2/1,103/2/2,103/3,103/4,103/5	0.001
3	175/1/1,175/1/2,175/2	0.001
4	207	0.001

1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

प.क्र.-332-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - हटवा सोहरान 1034
क्षेत्रफल - 0.007 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	53	0.001
2	101,	0.001
3	283/1/1, 283/1/2, 283/2, 283/3, 283/3/1, 283/3/2,	0.001
4	376/1, 376/2	0.001
5	420,	0.001
6	480/1/1/1, 480/1/1/2, 480/1/1/3, 480/1/2/1, 480/1/2/2, 480/1/2/3, 480/2, 480/3/1, 480/3/2, 480/4/1, 480/4/1/1, 480/4/1/2, 480/4/2/2, 480/4/3, 480/5/1, 480/5/2	0.001
7	527/1, 527/2	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-334-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - पहाड़ी अमोच 602
क्षेत्रफल - 0.002 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	53/1/1, 53/1/2 53/2	0.001
2	83/1/1, 83/1/2, 83/2, 83/3	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-336-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - पहाडी मझियार
क्षेत्रफल - 0.002 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	55/1, 55/2	0.001
2	194	0.001

1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

प.क्र.-338-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - पंडित पुरवा 642
क्षेत्रफल - 0.001 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	28/1/1, 28/1/2/1, 28/1/2/2, 28/2/1, 28/2/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 28/9,	0.001

1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

प.क्र.-340-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - रामपुर 904
क्षेत्रफल - 0.005 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10,	0.001
2	141/1, 141/2, 141/3, 141/4/1, 141/4/2,	0.001
3	242/1, 242/2, 242/3, 242/4/1, 242/4/2, 242/4/3	0.001
4	489/1, 489/2, 489/3, 489/4	0.001
5	583/1, 583/2, 583/3/1, 583/3/2, 583/3/3	0.001

1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-342-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - रतनगंवा 898
क्षेत्रफल - 0.003 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6	0.001
2	70	0.001
3	130/1, 130/2, 130/3, 130/4	0.001

1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-344-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - बहेरहा कला
क्षेत्रफल - 0.001 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	13	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

प.क्र.-346-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - बमुरिहा
क्षेत्रफल - 0.005 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	38/1/1/1, 38/1//1/2, 38/1/2, 38/2	0.001
2	43/1/1, 43/1/2, 43/2/2, 43/2/1	0.001
3	180	0.001
4	40/1, 40/2/1, 40/2/2	0.001
5	209	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

प.क्र.-348-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - दुबगंवा कुर्मियान
क्षेत्रफल - 0.008 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	1598/1/1,1598/1/2,1598/2	0.001
2	1431,	0.001
3	1108,	0.001
4	1233,	0.001
5	991/1,991/2,991/3,991/4,991/5,991/6	0.001
6	787/1,787/2/787/3	0.001
7	644,	0.001
8	1464/1,1464/2,1464/3,1464/4	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-350-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - कीर्तिया कोठार
क्षेत्रफल - 0.001 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	45	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-352-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - खीरी
क्षेत्रफल - 0.004 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	170,	0.001
2	99,	0.001
3	6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11	0.001
4	237,	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-354-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - कीर्तिय
क्षेत्रफल - 0.001 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	64	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-356-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - अटरा खुर्द 5
क्षेत्रफल - 0.002 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	175	0.001
2	115	0.001

1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

प.क्र.-358-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - कीर्तिय पैपखार
क्षेत्रफल - 0.001 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	89	0.001

1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

प.क्र.-360-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - नईगढ़ी
ग्राम - मालेगावा 825
क्षेत्रफल - 0.003 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में)
1	106	0.001
2	378,377	0.001
3	562	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - " बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-362-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - जाकी कोठार
क्षेत्रफल - 0.002 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	10	0.001
2	31	0.001

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-364-प्रवा.-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

|| अनुसूची ||

भूमि का विवरण :-

जिला - मऊगंज
तहसील - मऊगंज
ग्राम - जमुरहा 346
क्षेत्रफल - 0.006 हे.

क्र.	खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	88,	0.001
2	164/1/2, 164/1/3, 164/1/1, 164/1/1/2, 164/1/1, 164/2	0.001
3	437/1, 437/2	0.001
4	549/1, 549/2	0.001
5	307,	0.001
6	791,	0.001

1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत डी.बी. निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय कुमार जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र.-549-भू-अर्जन-2025

देवास, दिनांक 11 दिसम्बर 2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में "हाटपिपल्या माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना" के अन्तर्गत "पंप हाऊस-6 के निर्माण" हेतु ग्राम नागदा तहसील व जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "पंप हाऊस-6 के निर्माण" के लिए "हाटपिपल्या माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पंप हाऊस-6 के निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

ग्राम- नागदा
नगर

तहसील- देवास

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	योग
1.	"पंप हाऊस-6 के निर्माण" हेतु "हाटपिपल्या माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु पंप हाऊस निर्माण	3.807	-	3.807

अनुसूची 2

"पंप हाऊस-6 के निर्माण" हेतु
"हाटपिपल्या माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु पंप हाऊस-6 के निर्माण " के अन्तर्गत

ग्राम नागदा की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम- नागदा

तहसील- देवास नगर)

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1.	जाकीर पिता नवाब जाति मुसलमान	1050/1	0.200	—	0.200	0.070	—	0.070
		1051/1	0.110	—	0.110	0.060	—	0.060
2.	शाकीर पिता नवाब जाति मुसलमान	1051/2	0.310	—	0.310	0.280	—	0.280

3.	जिबराईल पिता नवाब जाति मुसलमान	1051/3 1051/9 1056/4	0.310 0.160 0.048	—	0.310 0.160 0.048	0.310 0.160 0.048	—	0.310 0.160 0.048
4.	वारिस पिता सत्तार जाति मुसलमान	1051/10 1056/3	0.215 0.044	—	0.215 0.044	0.215 0.044	—	0.215 0.044
5.	अब्दुलगनी पिता सत्तार जाति मुसलमान	1051/11 1056/2	0.100 0.159	—	0.100 0.159	0.100 0.159	—	0.100 0.159
6.	मांगीलाल पिता बापू जाति खाती	1052/1 1052/3 1052/5	0.084 0.137 0.232	—	0.084 0.137 0.232	0.084 0.137 0.232	—	0.084 0.137 0.232
7.	प्रकाश पिता रामचन्द्र जाति खाती	1052/2	0.190	—	0.190	0.190		0.190
8.	विष्णु पिता हजारीलाल जाति खाती	1052/4	0.172	—	0.172	0.172		0.172
9.	देवकरण पिता हजारीलाल जाति खाती	1052/6	0.116	—	0.116	0.116		0.116
10.	कैलाश पिता राजाराम जाति तम्बोली	1054/2/1	0.414	—	0.414	0.200		0.200
11.	सत्यनारायण पिता राजाराम जाति तम्बोली	1054/2/2	0.201	—	0.201	0.120		0.120
12.	दिनेश पिता राजाराम जाति तम्बोली	1054/2/3	0.202	—	0.202	0.120		0.120
13.	मनोहर पिता राजाराम जाति तम्बोली	1054/2/4	0.202	—	0.202	0.120		0.120
14.	गोपाल पिता राजाराम जाति तम्बोली	1055/1	0.372	—	0.372	0.170		0.170
15.	कलाबाई पति कैलाश जाति तम्बोली	1055/2	0.121	—	0.121	0.121		0.121
16.	जमील पिता सत्तार जाति मुसलमान	1056/1	0.259	—	0.259	0.259		0.259
17.	महेश उर्फ आलोक पिता रामेश्वर दिनेश पिता रामेश्वर जाति तम्बोली	1057/2	0.126	—	0.126	0.126		0.126
18.	अनसुईयाबाई पति रामनारायण जाति तम्बोली	1057/1, 1080, 1081, 1082	0.125 0.032 0.077 0.049	—	0.125 0.032 0.077 0.049	0.125 0.012 0.027 0.010		0.125 0.012 0.027 0.010
19.	केसरीमल पिता आत्माराम जाति तम्बोली	1057/3	0.020	—	0.020	0.020		0.020
	कुल — 19	29	4.787	—	4.787	3.807		3.807

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऋतु राज, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

छतरपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2025

क्रमांक/650/भू-अर्जन/2024 :: जूड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र के जिला छतरपुर अन्तर्गत तहसील बक्स्वाहा के ग्राम-कर्री के परिवारों हेतु निजी भूमि धारकों के भूमि अर्जन होने के कारण प्रभावित व्यक्तियों की निजी भूमि "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" के तहत अर्जित की जा रही भूमियों के प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु न्यायालय जिला छतरपुर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2023-24 में धारा-45(2) के तहत गठित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति की समीक्षा के उपरान्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम अधिनियम, 2013 की धारा-17(2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत आयुक्त सागर संभाग सागर के अनुमोदन दिनांक 25.06.2025 के उपरान्त धारा-18 के तहत इस अधिसूचना का प्रकाशन किया जाना है।

"भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा-11 के अन्तर्गत जूड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना जिला छतरपुर की तहसील बक्स्वाहा के ग्राम-कर्री के परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु स्कीम का सार निम्नानुसार है:-

1. जूड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत ग्राम कर्री कछार में अर्जित की गई भूमि अर्जन के कारण प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-16 के तहत नियुक्त प्रशासक द्वारा प्रस्तुत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का अधिनियम की धारा-17 के अधीन पुनर्विलोकन हेतु अधिनियम की धारा-45(2) के तहत कलेक्टर छतरपुर की अध्यक्षता में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति का गठन किया गया।
2. उक्त समिति द्वारा दिनांक 16.12.2024 को समय दोपहर 1.00 बजे कलेक्टर कार्यालय छतरपुर के सभाकक्ष में बैठक आयोजित की जाकर सदस्यों के समक्ष परियोजना हेतु नियुक्त प्रशासक(प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा छतरपुर) के द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-16 के तहत प्रस्तुत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम पर चर्चा की गई।
3. जूड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत तहसील बक्स्वाहा जिला-छतरपुर अंतर्गत परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (जिसे आगे अधिनियम-2013 कहा गया है) के तहत निम्नानुसार ग्रामों की भूमि का अर्जन किया जा चुका है।

स.क्र.	तहसील	ग्राम	कुल प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
1	बक्स्वाहा	पाली	10.181
2		कर्री	60.866
3		निपनिया	12.191
4		खतरिया	60.062
		योग :-	143.300

4. उक्त ग्रामों की भूमि अर्जन हेतु परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर के प्रस्ताव अनुसार अधिनियम-2013 की धारा-11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन किया जा चुका है।
5. परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर के प्रस्ताव अनुसार प्रभावित ग्रामों का राजस्व एवं जल संसाधन विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण दल से सर्वेक्षण कराया गया। उक्त सर्वेक्षण अनुसार उपरोक्तानुसार ग्रामों में निम्नानुसार ग्रामों में प्रभावित परिवारों का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना संभावित है।

स. क्र.	तहसील	ग्राम	कुल प्रभावित व्यक्ति जिनके प्रभावित मकानों में स्थाई निवास है	कुल प्रभावित व्यक्ति जिनका प्रभावित मकानों में अस्थायी निवास है	अधि. 2013 की धारा-3 डी के तहत प्रभावित परिवारों की संख्या	कुल प्रभावित परिवारों की संख्या	प्रभावित छोटे कारीगर	प्रभावित छोटे दुकानदार	पशुवाड़ा रखने वाले परिवारों की संख्या	लोकप्रयोगी शासकीय भवनों की संख्या	अन्य सुख सुविधायें एवं संरचनाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	बक्स्वाहा	कर्री कछार	37	0	21	58	0	0	12	1	0
		कुल :-	37	0	21	58	0	0	12	1	0

6. उपरोक्त तालिका अनुसार जूड़ी मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित भूमि अर्जन के कारण तहसील बक्स्वाहा के एक ग्राम-कर्री (कछार) में 37 व्यक्तियों के मकान प्रभावित हो रहे हैं जिसमें प्रभावित मकान धारकों के अलावा अधिनियम-2013 की धारा-3ड के तहत सर्वेक्षित 21 कुटुम्ब भी निवासरत् है इस प्रकार तहसील बक्स्वाहा में अनुमानित कुल 58 प्रभावित कुटुम्बों का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना है। उपरोक्तानुसार परिवारों (कुटुम्बों) को जो प्रभावित मकानों में स्थाई रूप से निवासरत हैं को विस्थापन करने हेतु ग्राम गुगवारा में पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया था परन्तु प्रभावित परिवारों द्वारा अन्यत्र किसी भी स्थान पर पुनर्वासन करने से इंकार कर दिया गया। प्रभावित कुटुम्ब/परिवारों द्वारा मांग की गई कि प्रत्येक कुटुम्ब को अधिनियम-2013 की दूसरी अनुसूची अनुसार नये ग्राम अथवा कॉलोनी में पट्टा/मकान के स्थान पर एक मुश्त राशि का भुगतान करने का प्रावधान किया जावे।
7. अधिनियम-2013 की दूसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुम्बों को निम्नानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सहायतायें/सुविधायें दी जावेगी।

1. ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान में वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने हेतु राशि रु.1,50,000/- प्रति कुटुम्ब दिया जावेगा।
2. कण्डिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
3. (क) जहाँ परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है, वहाँ अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या
(ख) प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय या
(ग) वार्षिकी पॉलिशियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुम्ब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
4. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रति मास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब जो विस्थापित हुआ है को कुटुम्ब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानान्तरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जायेगी।
6. किसी कारीगर छोटे व्यापारी या पशुबाड़ा रखने वाले परिवार या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुम्ब जिनके स्वामित्वधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा विनिदिष्ट करें।
7. प्रत्येक कुटुम्ब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
8. चूँकि प्रभावित कुटुम्बों/परिवारों के पुनर्वास हेतु नए गांव या कॉलोनी नहीं बसायी जा रही है इसीलिए अधिनियम-2013 की तीसरी अनुसूची में प्रभावित कुटुम्बों/जनसमुदाय के लिए अवसरचक्रात्मक सुविधाओं को विलोपित किया जाने का निर्णय लिया गया।
9. उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधाएं प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम-2013 की धारा-11 के प्रकाशन दिनांक से पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा-11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित कुटुम्बों (व्यक्तियों) का होगा।
10. अधिनियम की धारा-3ड के तहत प्रभावित कुटुम्ब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा-11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक अथवा प्रभावित मकान क्रय(अर्जन) की सार्वजनिक सूचना प्रकाशन की दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित कुटुम्ब/व्यक्ति को दिया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पार्थ जैसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-5054-भू-अर्जन-2025

सिवनी, दिनांक 17 दिसम्बर 2025

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैं :-

अनुसूची

1 - परियोजना का नाम - भैसनवाही जलाशय परियोजना

2 - भूमि का विवरण :-

(क) जिला - सिवनी
(ख) तहसील - लखनादौन
(ग) नगर/ग्राम - ब्राम्हनवाडा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 4.01 हेक्टेयर

प.ह.न.- 110

स. क.	सर्वेक्षण क्रमांक	क. स्वामित्व प्रकार	प्रकार भूमि का	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (हे० मं)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस प्रगति	संख्या	प्रकार	स्थिति परिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	15	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	भागचंद भोलाराम भागवती पि. गिन्दू जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय भूमि	शासकीय रास्ता	शासकीय रास्ता	ख.नं. 14 की भूमि	-	-	-	-
2	17/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.04		ख.नं. 15 की भूमि	स्वयं की शेष भूमि	स्वयं की शेष भूमि	ख.नं. 17 की भूमि	-	-	-	-
3	17/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	नोरेलाल पि. अंतराम जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 17/6 की भूमि	ख.नं. 17/5 की भूमि	स्वयं की शेष भूमि	स्वयं की शेष भूमि	-	-	-	-
4	17/5	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	चुन्नीलाल पिता अंतराम जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 15 की भूमि	स्वयं की शेष भूमि	ख.नं. 17/4 की भूमि	ख.नं. 14 की भूमि	-	-	-	-
5	14	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	सुरेशकुमार पि. रामदास जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी	स्वयं की शेष भूमि	ख.नं. 24 की भूमि	ख.नं. 15 की भूमि	ख.नं. 13 की भूमि	-	-	-	-
6	24/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	ओंकार पि. अंतराम जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 14 की भूमि	स्वयं की शेष भूमि	ख.नं. 17/5 की भूमि	ख.नं. 24/1 की भूमि	-	-	-	-

7	24/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	टोपसिंग पि. अंतराम जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय भूमि	स्वयं की शेष भूमि	ख.नं. 24/2 की भूमि	ख.नं. 33/4 की भूमि	-	-	-	-
8	33/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	बहीद पि. हफीज जाति बहना नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 11/1 की भूमि	स्वयं की शेष भूमि	ख.नं. 33/2 की भूमि	ख.नं. 34 की भूमि	-	-	-	-
9	11/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.02		ख.नं. 8 की भूमि	ख.नं. 33/2 की भूमि	ख.नं. 11/2 की भूमि	ख.नं. 10 की भूमि	-	-	-	-
10	33/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	इब्राहीम पि. हफीज जाति बहना नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 11/1 की भूमि	स्वयं की शेष भूमि	ख.नं. 33/3 की भूमि	ख.नं. 33/1 की भूमि	-	-	-	-
11	11/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.02		ख.नं. 8 की भूमि	ख.नं. 33/2 की भूमि	ख.नं. 11/3 की भूमि	ख.नं. 11/1 की भूमि	-	-	-	-
12	33/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	सुबराती पि. हफीज जाति बहना नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 11/3 की भूमि	स्वयं की शेष भूमि	ख.नं. 33/4 की भूमि	ख.नं. 33/2 की भूमि	-	-	-	-
13	11/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.02		ख.नं. 8 की भूमि	ख.नं. 33/3 की भूमि	ख.नं. 11/4 की भूमि	ख.नं. 11/2 की भूमि	-	-	-	-
14	33/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	लियाकत पि. हफीज जाति बहना नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 11/4 की भूमि	स्वयं की शेष भूमि	ख.नं. 24/1 की भूमि	ख.नं. 33/3 की भूमि	-	-	-	-
15	11/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.01		ख.नं. 8 की भूमि	ख.नं. 33/4 की भूमि	शासकीय भूमि	ख.नं. 11/3 की भूमि	-	-	-	-
16	10	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	शाकराबी पति मरहूम रियाज शेखअलीम शेखकलीम बानोबी पिता रियाज जाति बहना नि. ग्रा. भूमिस्वामी	स्वयं की शेष भूमि	ख.नं. 34 की भूमि	ख.नं. 11/1 की भूमि	ख.नं. 9 की भूमि	-	-	-	-
17	34	भूमिस्वामी	कृषि	0.03		ख.नं. 10 की भूमि	स्वयं की शेष भूमि	ख.नं. 33/1 की भूमि	ख.नं. 35/2 की भूमि	-	-	-	-
18	9/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	राबियाबी पति शेख रबाद जाति बहना नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 8 की भूमि	शासकीय रास्ता	ख.नं. 10 की भूमि	ख.नं. 9/2 की भूमि	-	-	-	-
19	9/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	शेख आबिद पिता शेख रबाद जाति बहना नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 8 की भूमि	शासकीय रास्ता	ख.नं. 10 की भूमि	शासकीय रास्ता	-	-	-	-
20	35/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.02		ख.नं. 7 की भूमि	स्वयं की शेष भूमि	ख.नं. 35/2 की भूमि	ख.नं. 36 की भूमि	पलास	07	-	-

21	9/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	मो. राजिक पिता शेख रबाद जाति बहना नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 8 की भूमि	शासकी य रास्ता	ख.नं. 9/2 की भूमि	ख.नं. 35/1 की भूमि	-	-	-	-
22	35/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.03		ख.नं. 9/2 की भूमि	स्वयं की शेष भूमि	ख.नं. 34 की भूमि	ख.नं. 35/1 की भूमि	पलास	01	-	-
23	7	भूमिस्वामी	कृषि	0.09	भगवत टकलसिंह मोहन योगेन्द्र शैलेन्द्र राजकुमारी शुभद्रा निर्मला	स्वयं की शेष भूमि	ख.नं. 36 की भूमि	ख.नं. 9 की भूमि	ख.नं. 6 की भूमि	पलास महुआ	02 01	-	-
24	36	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	उमाप्रसाद पिता मुरारीलाल जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 7 की भूमि	स्वयं की शेष भूमि	ख.नं. 35/1 की भूमि	ख.नं. 37 की भूमि	पलास	01	-	-
25	37	भूमिस्वामी	कृषि	0.13	बसन्त संतराम संतकुमार बसंतो पि. नीकेलाल जामनी बेवा रीझनलाल तेजीलाल जुगरसिंग	ख.नं. 6 एव ख. नं. 7 की भूमि	स्वयं की शेष भूमि	ख.नं. 36 की भूमि	ख.नं. 42 की भूमि	पलास महुआ	02 01	-	-
26	39/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	रामविशाल आशा सुशीला पि. रीझनलाल मायाबाई बेवा रीझनलाल जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 37 की भूमि	ख.नं. 40/1 की भूमि	स्वयं की शेष भूमि	ख.नं. 42 की भूमि	-	-	-	-
27	6	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	खोवाराम शारदाबाई लक्ष्मीबाई भागवतीबाई पि. धरमचंद जाति तेली नि.ग्रा. भूमिस्वामी	स्वयं की शेष भूमि	ख.नं. 37 की भूमि	ख.नं. 7 की भूमि	ख.नं. 5 की भूमि	पलास महुआ	02 01	-	-
28	42	भूमिस्वामी	कृषि	0.24	सुनीलकुमार पि. प्रेमचंदबनिया जाति बनिया नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 40/1 की भूमि	शासकी य रास्ता	ख.नं. 40/1 की भूमि	स्वयं की शेष भूमि	पलास	01	-	-
29	40/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	भोपाल झनकलाल बाताबाई श्यामबाई	ख.नं. 39/1 की भूमि	ख.नं. 40/1 की भूमि	ख.नं. 40/2 की भूमि	ख.नं. 42 की भूमि	-	-	-	-
30	46	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	रामाबाई गंगाबती पि. सुखचरन जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 51 की भूमि	ख.नं. 47/2 की भूमि	ख.नं. 47/2 की भूमि	ख.नं. 47/2 की भूमि	-	-	-	-
31	47/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.04		ख.नं. 42 की भूमि	ख.नं. 47/2 की भूमि	स्वयं की शेष भूमि	स्वयं की शेष भूमि	-	-	-	-
32	48/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	श्याम पि. हरचरन जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी	स्वयं की शेष भूमि	ख.नं. 48/2 की भूमि	स्वयं की शेष भूमि	ख.नं. 46 की भूमि	-	-	-	-

33	47/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	मोहत पि. हरचरन जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 47/1 की भूमि	ख.नं. 46 की भूमि	स्वयं की शेष भूमि	स्वयं की शेष भूमि	-	-	-	-
34	48/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.02		ख.नं. 46 की भूमि	ख.नं. 48/1 की भूमि	स्वयं की शेष भूमि	ख.नं. 46 की भूमि	-	-	-	-
35	50/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.05		ख.नं. 48/2 की भूमि	ख.नं. 50/1 की भूमि	स्वयं की शेष भूमि	ख.नं. 51 की भूमि	-	-	-	-
36	50/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	भोपाल झनकलाल बाताबाई श्यामाबाई रामाबाई गंगाबाई पि. सुखचरन रोशन भगताराम फुलिया सुनीता शिवकली सुमंत्रा माधाबाई पि. बसोडी टोपसिंग ओंकार नोरेलाल ईश्वरीप्रसाद लेखराम लीलाबाई कल्लू चुन्नीलाल पि. अंतराम गिरजाबाई बेवा सुखचरन जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 50/2 की भूमि	ख.नं. 66 की भूमि	स्वयं की शेष भूमि	ख.नं. 51 की भूमि	-	-	-	-
37	51	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	भोपाल पि. सुखचरन जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 46 की भूमि	ख.नं. 52/1 की भूमि	ख.नं. 50/1 की भूमि	स्वयं की शेष भूमि	पलास	07	-	-
38	52/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	शेखभूरा पि. शकूर जाति बहना नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 51 की भूमि	ख.नं. 52/2 की भूमि	ख.नं. 66 की भूमि	स्वयं की शेष भूमि	-	-	-	-
39	52/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	शेखमंजूर पि. शकूर जाति बहना नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 52/1 की भूमि	ख.नं. 55 की भूमि	स्वयं की शेष भूमि	स्वयं की शेष भूमि	-	-	-	-
40	55	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	गुलाम पि. सलीम जाति बहना नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 56 की भूमि	ख.नं. 52/2 की भूमि	ख.नं. 57 की भूमि	ख.नं. 14 की भूमि	पलास	07	-	-
41	57	भूमिस्वामी	कृषि	0.09	किशोरी कुंदन होमसिंह हल्की ऊषा पि. प्रेमचंद शकुनबाई बेवा रीझन राजेश सुरेश सरला पि. रीझन जाति तेली नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 52/2 की भूमि	ख.नं. 56 की भूमि	स्वयं की शेष भूमि	ख.नं. 55 की भूमि	पलास	07	-	-

42	56	भूमिस्वामी	कृषि	0.13	केशरबाई पि. जगनसिंह बिरझी भीमसेन सोमाबाई पि. मंगल केशरी पि. जगनसिंह जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 55 की भूमि	ख.नं. 103/2 की भूमि	स्वयं की शेष भूमि	स्वयं की शेष भूमि	-	-	-	-
43	111	भूमिस्वामी	कृषि	0.21	केशरबाई पि. जगनसिंह बिरझी भीमसेन सोमाबाई पि. मंगल केशरी पि. जगनसिंह जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी	स्वयं की शेष भूमि	स्वयं की शेष भूमि	ख.नं. 105 की भूमि	ख.नं. 110/1 की भूमि	-	-	-	-
44	133	भूमिस्वामी	कृषि	0.03		शासकीय रास्ता	शासकीय रास्ता	शासकीय रास्ता	शासकीय रास्ता	-	-	-	-
45	103/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	खोवाराम पि. धरमचंद जाति तेली नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 56 की भूमि	स्वयं की शेष भूमि	स्वयं की शेष भूमि	ख.नं. 103/2 की भूमि	पलास	02	-	-
46	110/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.01		स्वयं की शेष भूमि	शासकीय रास्ता	शासकीय रास्ता	ख.नं. 134 की भूमि	-	-	-	-
47	103/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	विनोद कुमार पि. खोवाराम जाति तेली नि. ग्रा. भूमिस्वामी	स्वयं की शेष भूमि	स्वयं की शेष भूमि	ख.नं. 103/1 की भूमि	ख.नं. 105 की भूमि	महुआ	01	-	-
48	105	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	शालकराम पि. दुर्गा जाति तेली नि.ग्रा. भूमिस्वामी	स्वयं की शेष भूमि	स्वयं की शेष भूमि	ख.नं. 103/2 की भूमि	ख.नं. 111 की भूमि	-	-	-	-
49	134	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	हेमंत कुमार पि. मिश्रीलाल जाति कलार नि.ग्रा. भूमिस्वामी	स्वयं की शेष भूमि	शासकीय रास्ता	शासकीय रास्ता	शासकीय रास्ता	-	-	-	-
50	136/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	अजयकुमार पि. रोशनलाल जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय रास्ता	ख.नं. 157 की भूमि	ख.नं. 129 की भूमि	स्वयं की शेष भूमि	-	-	-	-
51	137	भूमिस्वामी	कृषि	0.22	रामप्रसाद छोटीमुन्नी पि. धनीराम जाति गौड नि. ग्रा. भूमिस्वामी	स्वयं की शेष भूमि	स्वयं की शेष भूमि	शासकीय रास्ता	ग्राम पायली सरहद	-	-	-	-
52	127	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	कुसमाबाई बेवा चेताराम लेखराम जगदीश शालगराम पि. चेताराम जाति तेली नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 136 की भूमि	स्वयं की शेष भूमि	ख.नं. 129 की भूमि	ख.नं. 136 की भूमि	-	-	-	-
53	129	भूमिस्वामी	कृषि	0.18	शालगराम पि. चेताराम जाति तेली नि.ग्रा. भूमिस्वामी	स्वयं की शेष भूमि	ख.नं. 128 की भूमि	ख.नं. 130 की भूमि	ख.नं. 127 की भूमि	-	-	-	-
54	130	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	शालकराम जगदीश लेखराम पि. चेताराम जाति तेली नि.ग्रा. भूमिस्वामी	स्वयं की शेष भूमि	ख.नं. 128 की भूमि	ख.नं. 122/1 की भूमि	ख.नं. 129 की भूमि	-	-	-	-

55	122/ 1	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	कुम्मा पि. हरी जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	स्वयं की शेष भूमि	ख.नं. 123 की भूमि	ख.नं. 122/1 की भूमि	ख.नं. 130 की भूमि	-	-	-	-
56	128	भूमिस्वामी	कृषि	0.22	गुलाब पि. हेमराज जाति तेली नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 129 एवं 130 की भूमि	स्वयं की शेष भूमि	ख.नं. 123 की भूमि	ख.नं. 127 की भूमि	-	-	-	-
57	123	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	हरलाल पि. मक्खन सुनिया कुसुम पि. दयाल गोपाल कुम्मा डिल्ली कस्तूरी सुग्गा अतरवती पि. हरी मीराबाई बेवा कलीराम मानसिंग सोनसिंग रामप्यारी कपूराबाई पुनियाबाई पि. कलीराम जाति गौड नि. ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 122/1 की भूमि	ख.नं. 124 की भूमि	स्वयं की शेष भूमि	ख.नं. 128 की भूमि	-	-	-	-
58	126/ 5	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	गनेश पि. हीरालाल जाति तेली नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 128 की भूमि	ख.नं. 126/4 की भूमि	ख.नं. 124 की भूमि	ख.नं. 126/2 की भूमि	-	-	-	-
59	132/ 2	भूमिस्वामी	कृषि	0.03		स्वयं की शेष भूमि	ख.नं. 136 की भूमि	स्वयं की शेष भूमि	ख.नं. 136 की भूमि	-	-	-	-
60	126/ 4	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	ओमनारायण पि. हीरालाल जाति तेली नि. ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 126/5 की भूमि	ख.नं. 125 की भूमि	ख.नं. 124 की भूमि	ख.नं. 126/2 की भूमि	-	-	-	-
61	124	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	हरलाल पि. मक्खन जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 123 की भूमि	ख.नं. 165 की भूमि	स्वयं की शेष भूमि	ख.नं. 126/4 की भूमि	-	-	-	-
62	125	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	गीता बेवा शिवप्रसाद प्रदीप संदीप राधा रुकमणी पि. शिवप्रसाद जाति तेली नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 126/4 की भूमि	ख.नं. 163 की भूमि	ख.नं. 165 की भूमि	स्वयं की शेष भूमि	-	-	-	-
63	163	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	लेखराम पि. चेताराम जाति तेली नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 125 की भूमि	ख.नं. 181 की भूमि	ख.नं. 164 की भूमि	ख.नं. 162 की भूमि	-	-	-	-
64	165	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	मीराबाई बेवा कलीराम मानसिंग सोनसिंग रामप्यारी कपूराबाई पुनियाबाई पि. कलीराम जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 165 की भूमि	ख.नं. 178 की भूमि	स्वयं की शेष भूमि	ख.नं. 163 की भूमि	-	-	-	-
65	181/ 1/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.20	त्रिवेन पुत्र बलीराम जाति चमार नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 163 की भूमि	शासकीय रास्ता	ख.नं. 178, 179 की भूमि	स्वयं की शेष भूमि	-	-	-	-
66	164	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	चेतुलाल झल्लोबाई अनोखी रूपवती पि. झनकू सुमत्राबाई जमनसिंह रमनसिंह समनीबाई रमनीबाई जमनीबाई जमनवती पि. चन्दनलाल जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 124 की भूमि	ख.नं. 164 की भूमि	स्वयं की शेष भूमि	ख.नं. 163 की भूमि	-	-	-	-
योग	66			4.01						वृक्ष	43	-	-

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- भैसनवाही जलाशय परियोजना के अंतर्गत दायी तट नहर निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

क्र.-5055-भू-अर्जन-2025

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है :-

अनुसूची

- 1 - परियोजना का नाम - भजिया जलाशय परियोजना
 2 - भूमि का विवरण :-
 (क) जिला - सिवनी
 (ख) तहसील - लखनादौन
 (ग) नगर/ग्राम - खमरिया गोसाई
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - 12.38 हेक्टेयर

प.ह.न.- 92

स. क.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के क्षेत्रफल (हे० मै)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रति कि० मी.	संख्या	प्रकार	स्थिति परिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	818	भूमिस्वामी	कृषि	0.55	पुनू बिरजे सीता अनीता पिता दयाल साबित्री झनकवती झाडुसिंह झनकलाल पि. नेतराम हेमराज विसराम हेमवती लक्ष्मी पि. दीपचंद जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	रास्ता	चरागाह	चरागाह	कुशमाबाई बेवा दयाल की भूमि	-	-	-	-
2	821	भूमिस्वामी	कृषि	0.51	हेमराज विसराम हेमवती लक्ष्मी पि. दीपचंद जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	नेतराम पि. दयाल की भूमि	चरण पि. कमल की भूमि	गुलाब पि. जीवन की भूमि	चरागाह	-	-	-	-
3	844	भूमिस्वामी	कृषि	0.70		नाला	नेतराम पि. दयाल की भूमि	संदीप पि. दास की भूमि	वन शासकीय	-	-	-	-
4	820/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	कुशमाबाई बेवा श्यामवरन विजय अजय पि. श्यामवरन बती कुट्टो श्यामसिंग पि. मोले झीनी बेवा मोले जाति गौड नि. सिवनी भूमिस्वामी	नेतराम पि. दयाल की भूमि	संदीप पि. दास की भूमि	नेतराम पि. दयाल की भूमि	कुशमाबाई बेवा श्यामवरन की भूमि	-	-	-	-

5	843/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.65	कुशमाबाई बेवा श्यामवरन विजय अजय पि. श्यामवरन बती कुट्टो श्यामसिंग पि. मोले झीनी बेवा मोले जाति गोंड नि. सिवनी भूमिस्वामी	चरण पि. कमल की भूमि	कुशमाबा ई बेवा दयाल की भूमि	बैसाखू पि. कमल की भूमि	कुशमाबा ई बेवा श्यामवर न की भूमि	-	-	-	-
6	820/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	संदीप पि. दास टांटोबाई पि. मानसिंग जाति गोंड नि. सिवनी भूमिस्वामी	कुशमाबा ई बेवा श्यामवर न की भूमि	संदीप पि. दास की भूमि	नेतराम पि. दयाल की भूमि	संदीप पि. दास की भूमि	-	-	-	-
7	843/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.71		मकखो पि. जौराबल की भूमि	संदीप पि. दास की भूमि	नेतराम पि. दयाल की भूमि	नेतराम पि. दयाल की भूमि	-	-	-	-
8	835	भूमिस्वामी	कृषि	0.19	पंचमलाल सोनम पूनम संतोषी पि. डब्ल जाति गोंड नि. लखनादौन भूमिस्वामी	गुलाब पि. जीवन की भूमि	बैसाखू पि. कमल की भूमि	चारगाह	गुलाब पि. जीवन की भूमि	-	-	-	-
9	836	भूमिस्वामी	कृषि	0.50	बैसाखू गनेश पि. कमल प्रेमवती धपस्व. मिहीलाल गुमानी भुवानी सुधानी परवो रज्जो सुनील पि. मिहीलाल जाति गोंड नि. ग्रा. भूमिस्वामी	गुलाब पि. जीवन की भूमि	नला	चरण पि. कमल की भूमि	गुलाब पि. जीवन की भूमि	-	-	-	-
10	841	भूमिस्वामी	कृषि	2.66		नला	बैसाखू पि. कमल की भूमि	शासकी य वन	कुशमाबा ई बेवा श्यामवर न की भूमि	-	-	-	-
11	842/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.23		नला	संदीप पि. दास की भूमि	चरण पि. कमल की भूमि	नला	-	-	-	-
12	832/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.20		गुलाब पि. जीवन की भूमि	हरीप्रसा द पि. रतीराम की भूमि	नला	चरण पि. कमल की भूमि	-	-	-	-
13	830/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.51	मकखो सेंटवती पि. जौराबल ठाकुर नाबा. नंदवती नाबा. पि. सेतकुमार जाति गोंड नि. लखनादौन भूमिस्वामी	चरण पि. कमल की भूमि	ढबू पि. रतीराम की भूमि	बहारी पि. जीवन की भूमि	मकखो पि. जौराबल की भूमि	-	-	-	-
14	838/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.36		चारागाह	नला	सरस्वती बेवा धरमू की भूमि	चरण पि. कमल की भूमि	-	-	-	-

15	842/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.22	चरण पि. कमल जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	नाला	बती पि मौले की भूमि	बैसाखू पि. कमल की भूमि	मक्खो की भूमि	-	-	-	-
16	832/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.20		गुलाब पि. जीवन की भूमि	हरीप्रसाद पि. रतीराम की भूमि	चरण पि. कमल की भूमि	मक्खो पि. जौराबल की भूमि	-	-	-	-
17	830/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.51		चारागाह	चरण पि. कमल की भूमि	नेतराम पि. दयाल की भूमि	चरण पि. कमल की भूमि	-	-	-	-
18	838/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.36		चारागाह	नाला	मक्खो पि. जौराबल की भूमि	बैसाखू पि. कमल की भूमि	-	-	-	-
19	840	भूमिस्वामी	कृषि	0.61	देवलाल श्री दर्शन शिववती पि. रामदीन संतोषी रजनी अनिल पि. शिवलाल जाति धोबी नि. ग्रा. भूमिस्वामी	नाला	बैसाखू पि. कमल की भूमि	दसरू पि. धरमू की भूमि	बैसाखू पि. कमल की भूमि	-	-	-	-
20	834	भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	कृषि	1.03	गुलाब पि. जीवन जाति मेहतर नि.ग्रा. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	नेतराम पि. दयाल की भूमि	बैसाखू पि. कमल की भूमि	पंचमलाल पि. डब्ल की भूमि	नेतराम पि. दयाल की भूमि	-	-	-	-
21	831/2/ 1/2/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	ढबू पि. रतीराम जाति धोबी नि. गोरखपुर भूमिस्वामी	ढबू की भूमि	इतियाबाई की भूमि	निलेश की भूमि	वन शासकीय	-	-	-	-
22	831/2/ 1/2/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	इतियाबाई पि. रतिराम जाति धोबी नि. ग्रा. भूमिस्वामी	ढबू की भूमि	चंदा की भूमि	निलेश की भूमि	वन शासकीय	-	-	-	-
23	831/2/ 1/2/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	चंदा पति ढबू जाति धोबी नि.ग्रा. भूमिस्वामी	इतियाबाई की भूमि	निलेश की भूमि	निलेश की भूमि	वन शासकीय	-	-	-	-
24	831/2/ 2	भूमिस्वामी	कृषि	0.92	निलेश पि. हरिप्रसाद जाति धोबी नि.ग्रा. भूमिस्वामी	चरण पि. कमल की भूमि	नाला	बहोरी पि. चैतू की भूमि	ढबू पि. रतीराम की भूमि	-	-	-	-
25	831/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	चैतू पि. जीवन बंटी भागवती बाई पिता बहोरी जाति धोबी नि.ग्रा. भूमिस्वामी	गुलाब पि. जीवन की भूमि	नाला	नाला	हरिप्रसाद पि. रतीराम की भूमि	-	-	-	-
26	831/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.50	हरिप्रसाद पि. रतीराम जाति धोबी नि.ग्रा. भूमिस्वामी	चरण पि. कमल की भूमि	नाला	बहोरी पि. चैतू की भूमि	निलेश पि. हरिप्रसाद की भूमि	-	-	-	-
योग	26			12.38						-	-	-	-

}

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- भजिया जलाशय परियोजना के बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

क्र. 5056-भू-अर्जन-2025

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तिया लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है :-

अनुसूची

- 1 - परियोजना का नाम - धुपघटा जलाशय परियोजना
 2 - भूमि का विवरण :-
 (क) जिला - सिवनी
 (ख) तहसील - लखनादौन
 (ग) नगर/ग्राम - जमुआ
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.53 हेक्टेयर

प.ह.न.- 64

स. क.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वास्थ्य का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के क्षेत्रफल (हि. मी.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रजाति	संख्या	प्रकार	लिखित एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	92/8	भूमिस्वामी	कृषि	0.38	रोशनलाल पिता डोरीलाल जाति लोधी नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय रास्ता	रोशनलाल पि. डोरीलाल की शेष भूमि	शासकीय रास्ता	तिहारी पि. धरमसिंह बगैरह की भूमि	-	-	-	-
2	112/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	लच्छी पिता चैतु जाति लोधी नि.ग्रा. भूमिस्वामी	कोहप पि. काशीराम की भूमि	लच्छी की शेष भूमि	कोहप पि. काशीराम की भूमि	शासकीय रास्ता	-	-	-	-
3	111/2/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.74	कोहपसिंह पिता काशीराम जाति गोंड नि. ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय चरनोई	कोहप पि. काशीराम की शेष भूमि	कोहप पि. काशीराम की शेष भूमि	शासकीय रास्ता	-	-	-	-
4	31	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	शंकर पिता नन्हा जाति चमार नि.ग्रा. भूमिस्वामी	महेश पि. गंगा की भूमि	शंकर पि. नन्हा की शेष भूमि	शंकर पि. नन्हा की शेष भूमि	खिल्लो बगैरह पि. मोहनलाल बगैरह की भूमि	-	-	-	-
5	7/5	भूमिस्वामी	कृषि	0.36	मानक पिता गंगा जाति चमार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	शासकीय चरनोई	मानक पि. गंगा की शेष भूमि	मानक पि. गंगा की शेष भूमि	महेश पि. गंगा की भूमि	-	-	-	-
योग	5			1.53						-	-	-	-

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- धुपघटा जलाशय परियोजना के डूब क्षेत्र स्पिल एवं प्रपोच चैनल निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

क्र. 5057-भू-अर्जन-2025

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है :-

अनुसूची

- 1 - परियोजना का नाम - भैसनवाही जलाशय परियोजना
 2 - भूमि का विवरण :-
 (क) जिला - सिवनी
 (ख) तहसील - लखनादौन
 (ग) नगर/ग्राम - जामुनपानी
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - 6.38 हेक्टेयर

प.ह.न.- 100

स. क.	सर्वेक्षण क्रमांक	ह. स्वामित्व प्रकार	ह. भूमि का प्रकार	अर्जन के क्षेत्रफल (हे० मं.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	पश्चिम	पूर्व	दक्षिण	प्रति किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	324	भूमिस्वामी	कृषि	1.07	लमिया बेवा रामचरन झनकू पिता रामचरन जाति गोंड निवासी	ख.नं. 323/1 की भूमि	शासकी य नाला	ख.नं. 325 की भूमि	ख.नं. 296/3 की भूमि	सागौ न कहुआ	2 2	-	-
2	325	भूमिस्वामी	कृषि	1.10	मुडापार भूमिस्वामी	ख.नं. 326 की भूमि	शासकी य नाला	ख.नं. 330 की भूमि	ख.नं. 324 की भूमि	सागौ न आम	3 2	क. मकान 1	10 X 5 वर्गमी.
3	296/ 3	भूमिस्वाम	कृषि	0.27	इमरत पिता झंगलू जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 298 की भूमि	शासकी य नाला	ख.नं. 296/ 2 की भूमि	ख.नं. 298 की भूमि	सागौ न महुआ	2 1	-	-
4	299/ 2	भूमिस्वाम	कृषि	0.16	हक्कू सबिया शशि बराती कल्लू गुड्डल पिता रेवा जाति गौड नि.ग्रा.	हक्कू बगैरह की शेष भूमि	ख.नं. 294 की भूमि	ख.नं. 299/ 3 की भूमि	ख.नं. 299/1 की भूमि	-	-	-	-
5	297	भूमिस्वामी	कृषि	0.85	हक्कू बगैरह की शेष भूमि	हक्कू बगैरह की शेष भूमि	हक्कू बगैरह की शेष भूमि	ख.नं. 323/ 1 की भूमि	ख.नं. 298 की भूमि	महुआ	2	-	-
6	299/ 3	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	सोमतीबाई बेवा दुलई समकुरा पिता दुलई जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	सोमती बाई बगैरह की शेष भूमि	सोमतीबा ई बगैरह की शेष भूमि	ख.नं. 298 की भूमि	ख.नं. 299/2 की भूमि	-	-	-	-

7	299/ 1	भूमिस्वामी	कृषि	0.09	झीनो पिता उमराव जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	झीनो की शेष भूमि	झीनो की शेष भूमि	ख.नं. 299/ 2 की भूमि	ख.नं. 293 की भूमि	सागौ न महुआ	2 2	—	—
8	292	भूमिस्वामी	कृषि	0.29		झीनो की शेष भूमि	झीनो की शेष भूमि	ख.नं. 293 की भूमि	ख.नं. 291 की भूमि	महुआ	1	—	—
9	291	भूमिस्वामी	कृषि	0.15	काशीराम गरीबा छोटेलाल कस्तूरी ओमवती सुखवती पिता इन्दरसिंह गुलाबवती बेवा माली सुखराम सुखलाल रेशमा हिरन्तो पिता माली जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	प्रेमवती बगैरह की शेष भूमि	प्रेमवती बगैरह की शेष भूमि	ख.नं. 292 की भूमि	शासकीय नाला	—	—	—	—
10	298	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	चन्दरवती बेवा मंगलसिंह हुब्बीलाल पीतमसिंह खुमान कौशल्या पिता मंगलसिंह रेवती बेवा सुखदेव भगवानदास रामदास लालदास भालसिंह बहादुर नंदकुमार पिता सुखदेव जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	चंदरवती बगैरह की शेष भूमि	चंदरवती बगैरह की शेष भूमि	ख.नं. 297 की भूमि	ख.नं. 299/3 की भूमि	—	—	—	—
11	326	भूमिस्वामी	कृषि	0.70	फूलाबाई पति जगतसिंह जाति गौड निवासी बगलई भूमिस्वामी	फूलाबा ई की शेष भूमि	शासकी य नाला	ख.नं. 330 की भूमि	ख.नं. 324 की भूमि	सागौ न महुआ	4 1	—	—
12	293	भूमिस्वामी	कृषि	1.14	घसीटी पत्नी लल्लू मीरा पति मीरलाल जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 293 की भूमि	ख.नं. 293 की भूमि	ख.नं. 299/ 1 की भूमि	ख.नं. 292 की भूमि	बिही	2	—	—
13	323/ 1	भूमिस्वामी	कृषि	0.40	रोशन पिता देल्हू जाति अहीर नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 323/1 की भूमि	ख.नं. 324 की भूमि	ख.नं. 323/ 1 की भूमि	ख.नं. 297 की भूमि	महुआ	1	—	—
योग	13			6.38						वृक्ष	27	क 0 मका न 1	50 वर्ग मी.

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- भैसनवाही जलाशय परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

क्र. 5058-भू-अर्जन-2025

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तिया लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है :-

अनुसूची

- 1 - परियोजना का नाम - मैसनवाही जलाशय परियोजना
 2 - भूमि का विवरण :-
 (क) जिला - सिवनी
 (ख) तहसील - लखनादौन
 (ग) नगर/ग्राम - सालीवाडा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - 11.88 हेक्टेयर

प.ह.न.- 109

स. क.	सर्वेक्षण क्रमांक	का स्वामित्व प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (हे० मं)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	संख्या	प्रकार	संख्या	प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	100/2	भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	कृषि	0.33	सम्मा पि. मोजे जाति गोड नि.ग्रा. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	शासकीय भूमि	शासकीय भूमि	ग्राम गुदर सरहद	ख.नं. 100/1 की भूमि	महुआ पलास	02	-	-
2	103	भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	कृषि	0.80	तुलसी पती पांवरो गुड्डो सूरखी सुमंत्रा मुन्नी हरी पि. दल्लु पचली बेवा बराती विजय पुसिया अजय आराधना वैजन्ती अनिता पि. बराती जाति गोड नि.ग्रा. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	शासकीय भूमि	शासकीय भूमि	ग्राम गुदर सरहद	शासकीय भूमि	महुआ सागौन कंजई लेडिया नीम	03 01 03 01	क0 मकान 01	6 X 5 वर्ग मी.
3	111/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.40	सिक्कु पि. छिदामी जाति रजभर नि. लखनादौन भूमिस्वामी	सिक्कु की शेष भूमि	शासकीय भूमि	ख.नं. 111/2 की भूमि	ख.नं. 60/3 की भूमि	-	-	-	-
4	106	भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	कृषि	1.27	दुल्ली पि. पुन्नु जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	शासकीय भूमि	शासकीय भूमि	ग्राम सरहद	शासकीय भूमि	महुआ चार आवला आम सागौन	05 07 02 05 03	क0 कुआ 1 क0 मकान 01	5 X 8.40 वर्ग मी.

5	119/ 3	भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	कृषि	1.00	मधर पि. मुकुन्दी जाति अहीर नि.ग्रा. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	शासकी य भूमि	शासकी य भूमि	ख.नं. 119/ 2की भूमि	ख.नं. 119/1 की भूमि	महुआ पलास धवला	05 07 05	-	-
6	104	भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	कृषि	1.95	हीरालाल रवि मानसिंह तामसिंह रामसिंह हिरिया मनौती धनवती पि. बलधारी सुमता बेवा बलधारी दहलानसिंह पि. इमरत इमरती पि. बलीराम अमरोबाई बेवा कलधारी सोनसिंह विनोद प्रेमा सोनवती पि. कलधारी जाति गोड नि.ग्रा. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	शासकी य भूमि	शासकी य भूमि	ग्राम सरहद	शासकी य भूमि	महुआ चार	15 06	क0 मकान 01	5 X 3.70 वर्ग मी
7	108	भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	कृषि	1.16	समनिया बेवा रामसिंग अंतराम रामनाथ जगन्नाथ बसंती सुमंती पि. रामसिंग जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	शासकी य भूमि	शासकी य भूमि	ग्राम सरहद	शासकी य भूमि	महुआ चार सागीन	15 04 02	क0 मकान 01	6.50 X 5.20 वर्गमी.
8	109	भूमिस्वामी	कृषि	0.80	शहीदाबी बेवा कुददूखों मुवीनाबी खानमो सुल्तानमो जमामो फिरदोषमो कुरेशाबी जुलेखाबी पि. कुददूखों जाति मुसलमान नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकी य भूमि	शासकी य भूमि	ख.नं. 108 की भूमि	शासकी य भूमि	महुआ पलास	04 04	-	-
9	111/ 2	भूमिस्वामी	कृषि	1.95	पालसी पि. छिदामी जाति रजभर नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकी य भूमि	शासकी य भूमि	शासक ीय भूमि	ख.नं. 61 की भूमि	महुआ पलास	04 02	-	-
10	112/ 1	भूमिस्वामी	कृषि	0.37	पुनियाबाई बेवा परसादीलाल राधाबाई पि. परसादी जाति अहीर नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ख.नं. 111/2 की भूमि	शासकी य भूमि	ख.नं. 119/ 1की भूमि	शासकी य भूमि	महुआ	01	-	-
11	119/ 2	भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	कृषि	1.02	निखिमा बेवा मुकुन्दी मधर रम्मु पतौली मन्ती शांति पि. मुकुन्दी जाति अहीर नि.ग्रा. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	शासकी य भूमि	शासकी य भूमि	ग्राम भैसनव ही सरहद	ख.नं. 119/3 की भूमि	महुआ चार	07 05	-	-
11a	119/ 2	भूमिस्वामी	कृषि	-	रम्मु पि. मुकुन्दी जाति अहीर नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकी य भूमि	शासकी य भूमि	ग्राम भैसनव ही सरहद	ख.नं. 119/3 की भूमि	-	-	क0 मकान 01	5.40 X 5.10 वर्ग मी

12	98	भूमिस्वामी अहस्तानतरणीय	कृषि	0.43	सुकलू रामलाल पि. कलीराम समनिया बेवा श्यामलाल फुलमनी बिहारी सुखचैन गोरखा पि. श्यामलाल जाति गौड नि. ग्रा. भूमिस्वामी अहस्तानतरणीय	समनिय 1 बगैरह की शेष भूमि	शासकी य भूमि	शासक ीय भूमि	शासकी य भूमि	महुआ	01	-	-
13	59	भूमिस्वामी अहस्तानतरणीय	कृषि	0.20	छबैलाल मुटिया नेवालाल श्यामा भूरी पिता झाडू श्यामबती बेवा फूलसिंह विनीता नाबा. सन्नो नाबा. पिता फूलसिंह प्रेमबती बेवा प्रहलाद अनुराग नाबा. सोमती नाबा. अनुज नाबा. पि. प्रहलाद जाति ढीमर नि. लखनादौन भूमिस्वामी अहस्तानतरणीय	राधेश्या म की शेष भूमि	शासकी य भूमि	ग्राम गुदरा सरहद	ख.नं. 100/1 की भूमि	महुआ	01	-	-
14	60/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	संदीपकुमार पि. नैनसुख जाति अहीर नि. चमारी लखनादौन भूमिस्वामी	प्रभुदया ल बगैरह की भूमि	संदीप की शेष भूमि	ख.नं. 100/ 1की भूमि	प्रहलाद बगैरह की भूमि	महुआ	02	-	-
15	60/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	राधेश्याम पि. परसादीलाल जाति अहीर नि.ग्रा. भूमिस्वामी	संदीप की भूमि	राधेश्याम की शेष भूमि	ख.नं. 100/ 1की भूमि	प्रहलाद बगैरह की भूमि	महुआ	02	-	-
योग	15			11.88						वृक्ष	127	क0 कुआ 1 क. मकान 5	151.84 वर्गमी.

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-
भैसनवाही जलाशय परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र. 0006-अ-82-2024-25—भू-अर्जन—करजगांव

बैतूल, दिनांक 18 दिसम्बर 2025

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	करजगांव	0.160	कार्यपालन पत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, संभाग- बैतूल / महाप्रबंधक, म.प्र. जल निगम PIU छिंदवाड़ा	घोघरी समूह जल प्रदाय योजना, जल जीवन मिशन के अंतर्गत आर.सी.सी. MBR-3 निर्माण कार्य हेतु निर्जी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकवा (हे.मे.)	अर्जित रकवा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
1	मधु उर्फ मोहनलाल पुत्र तिलकचंद जाति किराड़ पता मुलताई, बैतूल	387/2	1.0110	0.160
	योग :-	1	1.0110	0.160

1- चूंकि हितवद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि घोघरी समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य के लिए अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की गई है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलिंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 0013-अ-82-2024-25—भू-अर्जन-सोनखेड़ी

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
वैतूल (म.प्र.)	मुलताई	सोनखेड़ी	0.160	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, संभाग- वैतूल / महाप्रबंधक, म.प्र. जल निगम PIU छिंदवाड़ा	घोघरी समूह जल प्रदाय योजना, जल जीवन मिशन के अंतर्गत आर.सी.सी. MBR-3 निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
1	नत्थू पिता ठुन्या, वच्छला, चंद्रकला, वंदना पिता ठुन्या, भूरी, भागी: पिता पुन्य्या जाति कुन्वी पता - वैतूल (म.प्र.)	180/1	3.677	0.160
	योग :-	1	3.677	0.160

- 1- चूँकि हितवद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि घोघरी समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य के लिए अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की गई है।
- 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) वैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
- 4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीहोर, दिनांक 22 दिसम्बर 2025

प्रकरण कमांक 0003/अ-82/2025-26 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और प्रारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची-1 के पद (4) में उल्लेखित को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

—: अनुसूची -1 :-

जिला	तहसील/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर	धारा 12 हेतु अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
सीहोर	सीहोर/जहांगीरपुरा	8.093 हेक्टेयर	कार्यकारी संचालक म.प्र. औद्योगिक विकास निगम भोपाल	औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु ग्राम जहांगीरपुरा की निजी भूमि का अर्जन

—: अनुसूची -2 :-

क्रं.	भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि पर स्थित परिसंपत्तियाँ
1	मालती पुत्री मूलचंद्र जाति लोधी पता जहांगीरपुरा सीहोर सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय हिस्सा 1/4 पप्पी पुत्री मूलचंद्र जाति लोधी पता जहांगीरपुरा सीहोर सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय हिस्सा 1/4 किरण पुत्री मूलचंद्र जाति लोधी पता जहांगीरपुरा सीहोर सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय हिस्सा 1/4 भागवती बाई बेवा मूलचंद्र जाति लोधी पता जहांगीरपुरा सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय हिस्सा 1/4	243/3/2	0.040	0.040	निरंक
2	कु. संतोषी बाई पुत्री प्रभातीराम द्वारा बलवीर तोमर जाति ठाकुर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	217/1	6.070	6.070	निरंक
3	राजेश महेश योगेश पिता मूलचन्द्र अहस्तांतरणीय जाति लोधी पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	243/3/1	1.578	1.578	निरंक
4	राजेशमहेशयोगेश पितामूलचन्द मालतीपप्पीकिरण पुत्रीमूलचन्द भागवतीबाई बेवा मूलचन्द जाति लोधी पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय हिस्सा 1/2 गोविंदहीरालाल चौधमल आत्मजहरलाल राजकली पुत्री हरलाल जाति लोधी पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	243/2	0.405	0.405	निरंक
अहस्तांतरणीय हिस्सा 1/2					
कुल योग		4 किता	8.093	8.093	

1. भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग सीहोर तहसील व जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. प्रकरण के प्रकाशन उपरांत धारा-15 अंतर्गत विहित 60 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बालागुरु के. कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
क्र. 1986-अ.वि.अ.-भू-अर्जन-2025-रा.मा.क्र.0007-अ-82-2023-24 नरसिंहपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2025

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification NO.- EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2023 प्रदाय की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 की उपधारा-2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

अनुसूची-1

1. परियोजना का नाम : चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना।
2. भूमि का विवरण
 1. जिला : नरसिंहपुर
 2. तहसील : साईखेड़ा
 3. ग्राम : मोहड
 4. प.ह.नं. : 48
 5. नं.ब. : 394
 6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 3.945 हे.

अनुसूची 2

क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा हे. में
1	2	3	4	5
1.	सुभाष पिता रामकुमार जाति यादव पता मोहड साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	3/1 (S)	0.650

✓ 2.	कोमल सिंह पिता गिरजाप्रसाद यादव जाति यादव पता मोहड़ साईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	3/2/2/1(S)	0.020
			4/1/1(S)	0.020
			85/2(S)	0.008
✓ 3.	किशन पिता गिरजाप्रसाद यादव जाति यादव पता मोहड़ साईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	3/2/1(S)	0.080
			3/2/2/2(S)	0.030
✓ 4.	शिवराज पिता गिरजाप्रसाद यादव जाति यादव पता मोहड़ साईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	4/1/2(S)	0.050
✓ 5.	राकेश पिता विजय सिंह, बबली पुत्री विजयसिंह, संगीता पुत्री विजयसिंह, रंजना पुत्री विजय सिंह, रानू पुत्री विजय सिंह, मुन्ना पिता विजय सिंह, प्रवीण पिता विजय सिंह, अनूप पिता विजय सिंह, विपिन पिता विजय सिंह, नितिन पिता विजय सिंह, पंकज पिता विजय सिंह, चंदा बाई वेवा विजय सिंह जाति यादव पता साईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	11(S)	0.012
✓ 6.	केशर बाई बेवा ब्रजमोहन, जीतेन्द्र उर्फ मुकेश पिता ब्रजमोहन, वीरेंद्र पिता ब्रजमोहन, रविन्द्र पिता ब्रजमोहन, अर्चना पुत्री ब्रजमोहन जाति यादव पता साईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, बबली बेवा देवेन्द्र यादव, अनुराग पिता देवेन्द्र, संजना पुत्री देवेन्द्र यादव जाति यादव पता मोहड़ साईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	14/2(S)	0.040
✓ 7.	जगदीश पिता जीवनलाल जाति यादव पता मोहड़ साईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	18/2(S)	0.020
✓ 8.	प्रदीप पिता जीवनलाल जाति यादव पता मोहड़ साईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	18/3(S)	0.050
✓ 9.	जमना बाई बेवा सुरेश, दशरथ पिता सुरेश, किरन पुत्री सुरेश, संध्या पुत्री सुरेश, दुर्गा पुत्री सुरेश, सीता पुत्री सुरेश जाति यादव पता मोहड़ साईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	18/5(S)	0.030
✓ 10.	चन्द्रभूषण पिता पन्नालाल जाति यादव पता साईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	19/2/1(S)	0.128
✓ 11.	पूना बाई पुत्री अनुरूद्ध सिंह जाति नौरिया पता मोहड़ साईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	7/2(S)	0.016
✓ 12.	हल्के पिता बाबूलाल जाति ढीमर पता उत्थन साईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	7/3(S)	0.007
			8/3(S)	0.008

13.	लखन व. महंगू जाति चमार पता अहस्तांतरणीय शासकीय पटदेदार	शासकीय पटदेदार	10/14(S)	0.110
14.	रामकृष्ण व. श्रीलाल कुसुमबाई जोजे रामकृष्ण जाति चमार पता निवासी ग्राम-मड़गुला अहस्तांतरणीय शासकीय पटदेदार	शासकीय पटदेदार	10/16(S)	0.255
15.	भैयालाल व. साँवलिया कुसुमबाई जोजे भैयालाल जाति चमार पता निवासी ग्राम-मड़गुला अहस्तांतरणीय शासकीय पटदेदार	शासकीय पटदेदार	10/18(S)	0.280
16.	सचेन्द्र कुमार पिता विशाल सिंह जाति यादव पता मोहड़ साईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	47/1(S)	0.080
17.	अतुल पिता नंदकिशोर जाति यादव पता मोहड़ साईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	77/1/2(S)	0.676
			77/4(S)	0.130
18.	नीरज पिता प्रेमनारायण जाति यादव पता मोहड़ साईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	77/2(S)	0.610
19.	दिनेश कुमार पिता मुरारीलाल जाति यादव पता मोहड़ साईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	76/3(S)	0.265
20.	श्रीदेवनर्मदाजीसंस्कृतपाठशालासोकलपुर संरक्षकमथुराप्रसाद ओंकारप्रसादबाबूलाल पिता परमानंद पता मोहड़ साईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	80(S)	0.028
			81(S)	0.032
21.	महेन्द्र पिता नन्दकिशोर जाति यादव पता मोहड़ साईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश.	भूमिस्वामी	83(S)	0.073
22.	भगवानदास पिता भूरे, कमलेश पिता भूरे, गनेशीबाई बेवा भूरे जाति यादव पता मोहड़ साईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	85/3(S)	0.020
23.	जमनाबाई बेवा रामसेवक यादव, प्रवीण पिता रामसेवक यादव, मनीष पिता रामसेवक यादव, रामगोपाल पिता रामसेवक यादव, रामकली पुत्री रामसेवक यादव, सुनीला पुत्री रामसेवक यादव, शर्मीला पुत्री रामसेवक यादव, जाति यादव पता मोहड़ साईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	88/1(S)	0.004
24.	जगदीश प्रसाद पिता मनोहर लाल जाति यादव पता मोहड़ साईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	88/2(S)	0.004
25.	ओमप्रकाश पिता रामकुमार यादव पता मोहड़ साईखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	124(S)	0.012

✓ 26.	महेन्द्रकुमार पिता रामकुमार जाति यादव पता मोहड़ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	126(S)	0.004
✓ 27.	सवित्री पत्नी महेन्द्र जाति यादव पता मोहड़ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	127(S)	0.004
			128/2	
✓ 28.	चरन पिता श्रीधर जाति यादव पता मोहड़ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	135/2(S)	0.026
			137/2	
			140/2	
			142/2	
			143/2	
			144/2	
			145/2	
✓ 29.	संजय कुमार पिता मंगल यादव पता मोहड़ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	135/4(S)	0.005
			137/4	
			140/4	
			142/4	
			143/4	
			144/4	
			145/4	
✓ 30.	शांतिबाई पुत्री धनू जाति यादव पता नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	135/6(S)	0.070
			137/6	
			140/6	
			142/6	
			143/6	
			144/6	
			145/6	
✓ 31.	प्रहलाद सिंह पिता कोमल सिंह जाति राजपूत पता मडगुला साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	147/1/1(S)	0.020

✓ 32.	भागीरथ सिंह पिता कोमल सिंह जाति राजपूत पता मड़गुला साईंखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	147/1/2(S)	0.055
33.	मानसिंह पिता कोमल सिंह जाति राजपूत पता साईंखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	147/1/3/1(S)	0.013
कुल योग				3.945

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15(7)-2014-सात-शा. 2ए भोपाल दिनांक- 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी लक्ष्मीबाई 1 लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर (कक्ष क्रं. 84, भू-अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गाडरवारा के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गाडरवारा) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुविभाग गाडरवारा कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रजनी सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.